



वार्षिक प्रतिवेदन ANNUAL REPORT

87th

वार्षिक आमसभा की बैठक
ANNUAL GENERAL MEETING

2013-14

दिनांक/Date : 21 सितम्बर, 2014 / 21st September, 2014

समय/Time : 11:30 बजे प्रातः / 11:30 AM

स्थान/Venue : महाराजा अग्रसेन भवन, रामपुर रोड, हल्द्वानी / Maharaja Agrasen Bhawan, Rampur Road, Haldwani

नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव बैंक लि०

प्रधान कार्यालय : हल्द्वानी (नैनीताल)

दूरभाष : 220910, 220815 फैक्स : 05946-221712

E-mail : dcbhaldwani@gmail.com

Website : ndcbank.com

नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव बैंक लि०

प्रधान कार्यालय : नैनीताल रोड, हल्द्वानी - 263139

सहकारिता आन्दोलन का आंकलन सहकारी संस्थाओं की संख्या से नहीं अपितु उनका संचालन करने वालों की नैतिकता से किया जायेगा।

-महात्मा गाँधी



“हमारे लिए एक परम सौभाग्य और गर्व की बात है कि भारत में अनेक महान भाषाएं हैं और प्रत्येक एक दूसरे से संबंधित है। हमें इन सभी भाषाओं को समृद्ध बनाना चाहिए तथा अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त, अन्य भाषाओं के प्रति विरोध की भावना नहीं रखनी चाहिए। सभी भाषाएं युगों-युगों से विकसित होकर भारत की मिट्टी में ही पनपी और बढ़ी हैं। इनमें से किसी एक भाषा की क्षति सारे भारत की क्षति है।

राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी हमारे देश की एकता में सबसे अधिक सहायक सिद्ध होगी, इसमें दो राय नहीं।”

-पंडित जवाहर लाल नेहरू



आज हमारे राजनीतिक जीवन में जो विकृतियां दिखाई दे रही हैं, वे आसक्ति के कारण उत्पन्न हुई हैं सेवा का स्थान अधिकार ने ले लिया है। मानवीय भावनाओं एवं जीवन-मूल्यों का हमारे लिए कोई महत्व नहीं रहा। व्यक्ति की प्रतिष्ठा का आधार उसका चरित्र नहीं, उसकी योग्यता नहीं, उसके गुण नहीं रहे पैसा ही प्रतिष्ठा का आधार बन गया है। यह स्थिति विकृतिमूलक है। हमें जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदलना होगा। दृष्टिकोण का यह परिवर्तन भारतीय संस्कृति के आदर्शों के आधार पर हो सकता है। इस गौरवमयी संस्कृति की पुनः प्रतिष्ठापना से ही राष्ट्र जीवन में चतुर्दिक परिव्याप्त विकृतियों का शमन एवं निराकरण हो सकता है।


-पंडित दीनदयाल उपाध्याय

87 वाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2013 - 2014




नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव बैंक लि०,
प्रधान कार्यालय : हल्द्वानी (नैनीताल)

उ०प्र० सहकारी समिति अधिनियम 1965 के अधीन निबन्धित सं० 64 दि० 21-9-57
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त लाईसेन्स सं० आर०पी०सी०डी०/02/2012



बैंक संस्थापक एवं प्रेरणा स्रोत
माननीय स्व० श्री हीराबल्लभ पाण्डे जी



बैंक संस्थापक सदस्य एवं प्रेरणा स्रोत
माननीय स्व० श्री शिवनारायण सिंह नेगी जी

हरीश रावत



मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सचिवालय,
देहरादून - 248001

फोन : 0135-2755177 (का.)

0135-2650433

फैक्स : 0135-2712827



संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि० हल्द्वानी वार्षिक सामान्य निकाय दिनांक 21 सितम्बर 2014 को आयोजित कर रहा है।

सहकारी बैंक का ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में निवास करने वाले कृषकों, दस्तकारों एवं अन्य व्यवसायियों के आर्थिक विकास में सराहनीय योगदान रहता है। मैं आशा करता हूँ कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि०, हल्द्वानी सहकारी एवं सरकार की योजनाओं के माध्यम से जनपद के ग्रामीण व कृषकों को सुविधा प्रदान कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के प्रयासों में पूर्णतः सफल होगा।

बैंक की 87वीं वार्षिक सामान्य निकाय बैठक आयोजन पर समस्त प्रतिनिधियों, सहकारी बन्धुओं, बैंक की प्रबन्ध समिति के सम्मानित सदस्यों एवं अधिकारियों और कर्मचारियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

(हरीश रावत)

यशपाल आर्य

मंत्री

राजस्व, सिंचाई, तकनीकी शिक्षा, सहकारिता,
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज,
भारत-नेपाल उत्तराखण्ड नदी परियोजनाएँ



उत्तराखण्ड सरकार

विधान भवन,

कक्ष सं. : 19-20

देहरादून - 248001

फोन : 0135-2666304

फैक्स : 0135-2666308 (का.)

फोन : 0135-2530222 (आ.)

दिनांक, देहरादून 23-08-2014



संदेश


मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि0, हल्द्वानी की सामान्य निकाय की 87वीं वार्षिक बैठक दिनांक 21.09.2014 को आयोजित की जा रही है।

सहकारिता एवं सहकारी बैंकों द्वारा सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराकर एवं कृषि निवेशों की प्रचुर उपलब्धता को सुनिश्चित कर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के साथ-साथ कृषि क्षेत्र को सशक्त करने का सराहनीय कार्य किया गया है।

नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि0 हल्द्वानी द्वारा राष्ट्रीय सहभागिता योजना के अन्तर्गत कृषकों को कम दरों पर ऋण उपलब्ध करा रहा है। जनपद नैनीताल के विभिन्न भागों में अनेकों लघु एवं सीमान्त कृषक सहकारिता की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। सहकारी बैंकों की समस्त शाखाओं को कम्प्यूटरीकृत कर सी0बी0एस0 प्रणाली से बैंकिंग कार्य प्रारम्भ करने में आप सभी की विशेष भूमिका एवं योगदान प्रशंसनीय है।

बैंक की सामान्य निकाय की वार्षिक बैठक के आयोजन पर समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधियों, सहकारी बन्धुओं, बैंक की प्रबन्ध समिति के सम्मानित सदस्यों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों को मेरी हार्दिक शुभकामनायें।

आपका,


(यशपाल आर्य)

डॉ इन्दिरा हृदयेश

मंत्री

वित्त वाणिज्य कर, विधायी
एवं संसदीय कार्य

उत्तराखण्ड सरकार

विधान भवन,
देहरादून - 248001फोन : (0135) 2665088 (का.)
(0135) 2665988 (फ़ै.)
(0135) 2748200 (आ.)
दिनांक : 23-08-2014

संदेश

मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हल्द्वानी की 87वीं वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक 21.09.2014 को आयोजित की जा रही है। इस अवसर पर बैंक का वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित कराया जाना प्रस्तावित है। सहकारिता का मूल मंत्र है “**एक सब के लिए और सब एक के लिये**”। मुझे पूर्ण विश्वास है कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि0, इसी मूल मन्त्र को आगे बढ़ाते हुये अपने समस्त सदस्यों को विकास व वैभव के पथ पर अग्रसर करेगा तथा समाज को एक सही दिशा प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।

नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि0 हल्द्वानी द्वारा प्रकाशित कराये जाने वाले वार्षिक प्रतिवेदन हेतु मैं अपनी हार्दिक शुभकामनायें प्रेषित करती हूँ।

(इन्दिरा हृदयेश)

हरीश चन्द्र दुर्गापाल
मंत्री

श्रम, सेवायोजन, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
एम.एस.एम.ई., खादी एवं ग्रामोद्योग, दुग्ध विकास




उत्तराखण्ड सरकार

विधान भवन,
कक्ष सं. : 23
देहरादून - 248001

फोन : 0135-2666780

फैक्स: 0135-2666776


दिनांक, देहरादून 25-08-2014



संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि०, हल्द्वानी की 87वीं वार्षिक बैठक दिनांक 21.09.2014 को आयोजित होने जा रही है। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि०, हल्द्वानी ने जनपद नैनीताल के लघु एवं सीमान्त कृषकों, दस्तकारों, भूमिहीन एवं निर्बल वर्ग व ग्रामीण क्षेत्रों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति एवं रोजगारपरक योजनाओं का संचालन कर प्रदेश के आर्थिक विकास में सराहनीय योगदान दिया है।

सभी सम्मानित सहकारी बन्धुओं, बैंक के खातेदारों, प्रबन्ध समिति के सदस्यों एवं बैंक व अधिकारियों/कर्मचारियों को वार्षिक निकाय की बैठक के आयोजन पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।


(हरीश चन्द्र दुर्गापाल)

संजीव आर्य

अध्यक्ष

उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि०
प्र०का० : बरेली रोड, तल्ली हल्द्वानी
फोन : (05946) 245097, 245115
फैक्स : (05946) 245098



ग्राम छड़ायल सुयाल,
पो० मानपुर पश्चिम, हल्द्वानी
जिला नैनीताल
फोन/फैक्स : (05945) 235218
मो० : 9997196152



संदेश

मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता है कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि० हल्द्वानी की सामान्य निकाय की 87वीं वार्षिक बैठक दिनांक 21.09.2014 को आयोजित की जा रही है।

जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास में नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि० हल्द्वानी द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जानी है। मुझे विश्वास है कि बैंक की सामान्य निकाय की वार्षिक बैठक में बैंक की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ किये जाने के साथ-साथ जनपद के आर्थिक विकास की दिशा निर्धारित करने एवं सहकारी आन्दोलन को गति प्रदान किये जाने हेतु ठोस प्रस्तावों व सुझावों पर विचार किया जायेगा।

बैंक की सामान्य निकाय की वार्षिक बैठक के आयोजन पर मैं समस्त सम्मानित प्रतिनिधियों, सहकारी बन्धुओं, बैंक की प्रबन्ध समिति के सम्मानित सदस्यों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं सम्प्रेषित करता हूँ।


(संजीव आर्य)

UCF

उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि० देहरादून

कार्यालय :- 59/1 इन्दर रोड, डालनवाला, देहरादून दूरभाष/फैक्स 0135-2672283, 2672273

प्रमोद कुमार सिंह

अध्यक्ष

दिनांक 19.08.2014

अध्यक्ष-सहकारी प्रबन्ध संस्थान, देहरादून
निदेशक-इंडियन फारमर्स फर्टिलाइज़र
को-ऑपरेटिव लि० (इफ्को)



संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि० हल्द्वानी की वार्षिक आम सभा की 87वीं वार्षिक बैठक दिनांक 21.09.2014 को आहूत की जा रही है और इस शुभ अवसर पर वार्षिक प्रतिवेदन का प्रकाशन भी किया जा रहा है।

बहुत हर्ष का विषय है कि जिला सहकारी बैंक नैनीताल ने जनपद की सभी बैंक शाखाओं को सी०बी०एस० कर बैंकिंग प्रणाली को सुगम करते हुए अन्य राष्ट्रीय बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा में है। मैं आशा करता हूँ कि इसी गति से और आगे बढ़ते हुए जनपद में सभी मुख्य स्थानों पर ए०टी०एम० मशीनें स्थापित करेगा।

नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि० हल्द्वानी (नैनीताल) के उज्ज्वल भविष्य की कामनाओं एवं उक्त वार्षिक प्रतिवेदन के सफल प्रकाशन की शुभकामनाओं सहित।

(प्रमोद कुमार सिंह)

मंजुल कुमार जोशी
आई.ए.एस.
सचिव, सहकारिता

उत्तराखण्ड सचिवालय
सुभाष मार्ग, देहरादून




संदेश

मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हल्द्वानी की 87वीं वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक 21-09-2014 को आयोजित की जा रही है।

नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि0, हल्द्वानी जनपद नैनीताल में कृषकों, दस्तकारों, भूमिहीन एवं निर्बल वर्ग के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है।

नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि0, हल्द्वानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में प्रभावी भूमिका अपनाते हुए समस्त चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सके, यही मेरी कामना है।


(मंजुल कुमार जोशी)

विजय कुमार ढौंडियाल
निबन्धक
सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड
अल्मोड़ा

निबन्धक सम्पर्क कार्यालय,
59/1, इन्दर रोड, डालनवाला,
देहरादून




संदेश

नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि०, हल्द्वानी की सामान्य निकाय की 87वीं वार्षिक बैठक को आयोजित किए जाने पर मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।

प्रदेश के ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के आर्थिक विकास में सहकारिता का मुख्य योगदान है। मैं आशा करता हूँ कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि०, हल्द्वानी अपनी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण व कृषकों को अधिकाधिक सुविधा प्रदान कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के प्रयासों में तथा राज्य सरकार की विकासोन्मुख एवं जनहित की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में पूर्णतः सफल होगा।

बैंक की सामान्य निकाय की बैठक के आयोजन के अवसर पर मेरी ओर से पुनः हार्दिक शुभकामनाएं।


(विजय कुमार ढौंडियाल)

ए०के० काला

अपर निबन्धक

सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड
अल्मोड़ा

निबन्धक सम्पर्क कार्यालय,
59/1, इन्दर रोड, डालनवाला,
देहरादून



संदेश

नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि०, हल्द्वानी की सामान्य निकाय की 87वीं वार्षिक बैठक को आयोजित किए जाने पर मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।

प्रदेश के ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के आर्थिक विकास में सहकारिता का मुख्य योगदान है। मैं आशा करता हूँ कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि०, हल्द्वानी अपनी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण व कृषकों को अधिकाधिक सुविधा प्रदान कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के प्रयासों में पूर्णतः सफल होगा।

बैंक की सामान्य निकाय की बैठक के आयोजन के अवसर पर मेरी ओर से पुनः हार्दिक शुभकामनाएं।


(ए०के० काला)



नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव बैंक लि०

प्रधान कार्यालय : हल्द्वानी

प्रधान मंत्री जन धन योजना



मुझे बेसिक सेविंग्स बैंक एकाउन्ट क्यों खोलना चाहिए?

- बैंक एकाउन्ट में रखा गया धन सुरक्षित होता है।
- बैंक एकाउन्ट में बचत किए गए धन पर आपको ब्याज मिलता है।
- आप किसी भी समय, कहीं भी धन निकासी कर सकते हैं और आपात स्थिति में इसका उपयोग कर सकते हैं।
- आप बैंक एकाउन्ट खोलने के बाद लोन्स और डिपॉजिट्स (कर्ज और जमा) जैसे अन्य उत्पादों का लाभ ले सकते हैं।

बेसिक सेविंग्स बैंक एकाउन्ट के क्या फायदे हैं?

बेसिक सेविंग्स बैंक एकाउन्ट शून्य बैलेंस वाले खाते हैं और इसीलिए एकाउन्ट (खाता) खोलने के लिए शुरुआत में कोई राशि जमा करने की जरूरत नहीं होती। जब कभी जरूरत पड़ती है तब बैंक में धन जमा कराया या निकाला जा सकता है।

मैं अपने एटीएम /डेबिट (रूपे) कार्ड का उपयोग कैसे कर सकता हूँ?

एकाउन्ट खोलते समय एटीएम/रूपे कार्ड दिया जाएगा। आप किसी बैंक के एटीएम से धन निकालने के लिए इस कार्ड का उपयोग 24 घंटे, सप्ताह के सातों दिन कर सकते हैं। आप जब चाहें आपका धन आपके हाथों में होगा। इसके अलावा इस कार्ड पर ₹. 1 लाख का इनबिल्ट दुर्घटना बीमा कवर भी होगा।

एकाउन्ट खोलने के बाद अन्य कौन से उत्पाद हैं जिन्हें मैं प्राप्त कर सकता हूँ?

- फिक्स्ड और रिकरिंग डिपॉजिट्स (सावधि एवम् आवर्ती जमा)
- किसान क्रेडिट कार्ड
- कृषि लोन, ट्रैक्टर लोन और अन्य खेती के उपकरणों के लिए लोन
- धन अंतरण (मनी ट्रान्सफर)

इस एकाउन्ट में अन्य कौन सी सुविधाएँ हैं?

एकाउन्ट पर 6 महीने तक संतोषजनक कार्य (व्यवहार) दिखाने के बाद बैंक वैकल्पिक रूप से ओवरड्राफ्ट सुविधा देने पर विचार कर सकता है जिसकी शुरुआत ₹. 1000 से होगी। ओवरड्राफ्ट का ब्याज नियमित भरने पर ओवरड्राफ्ट की राशि को ₹. 5000 तक बढ़ाया जा सकता है।

क्या मैं अपने आधार पर नंबर के साथ अपने सेविंग्स बैंक एकाउन्ट को जोड़ सकता हूँ?

जी हाँ, आधार नम्बर को सेविंग्स बैंक एकाउन्ट से जोड़ा जा सकता है और आधार पर आधारित सब्सिडियों जैसे एसएसपी, एलपीजी, मनरेगा को आधार नंबर के अनुसार सीधे इस एकाउन्ट में प्राप्त किया जा सकता है। सरकारी सब्सिडियाँ पाने के लिए आधार नंबर बैंक एकाउन्ट में और स्कीम चला रहे सरकारी विभाग दोनों जगहों पर अद्यतनीकृत किया जाना चाहिए।

एकाउन्ट खोलने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?

एकाउन्ट खोलना एक आसान प्रक्रिया है। आप बैंक एकाउन्ट खोलने के लिए अपना मतदाता पहचान पत्र, जॉब कार्ड, आधार कार्ड या सरपंच का पत्र आवश्यक दस्तावेज के रूप में जमा करा सकते हैं।



श्री राजेन्द्र सिंह नेगी
अध्यक्ष

वर्तमान संचालक मण्डल



श्रीमती राधिका नयाल
उपाध्यक्ष



श्री राजेन्द्र सिंह रावत
संचालक



श्री महिपाल सिंह डंगवाल
संचालक



श्री रमेश चन्द्र
संचालक



श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
संचालक



श्री संजय वर्मा
संचालक



श्री पूरन सिंह जलाल
संचालक



श्री दिनेश चन्द्र लोहनी
संचालक



श्रीमती किरन नेगी
संचालक



श्री जंगबहादुर सिंह मेहरा
संचालक



श्रीमती मुन्नी देवी
संचालक



श्री गोविन्द सिंह
संचालक



श्री देवीदत्त गुरुरानी
जिला सहायक निबन्धक



श्री बी०सी० पाण्डे
सचिव/महाप्रबन्धक



श्री मनोज कुमार
उप महाप्रबन्धक



श्री अशोक कुमार वर्मा
उप महाप्रबन्धक



बैंक अध्यक्ष श्री राजेन्द्र सिंह नेगी एवं प्रबंध समिति के समस्त सदस्यों द्वारा वित्तीय समावेशन कार्यक्रम में शिलांग में प्रतिभाग करते हुए



बैंक अध्यक्ष श्री राजेन्द्र सिंह नेगी जी शिलांग में पुष्प उद्यान का अवलोकन करते हुए।



वार्षिक प्रतिवेदन - 2013-2014

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	बैंक मुख्यालय/शाखायें	2
2.	वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक की सूचना	3
3.	वर्तमान संचालक मण्डल	4
4.	बैंक के वर्तमान मुख्य अधिकारी	5
5.	अध्यक्षीय सम्बोधन	6-8
6.	एजेण्डा नं. - 1 पिछली वार्षिक सामान्य निकाय बैठक दिनांक 24-11-2013 की कार्यवाही	9-17
7.	विगत वर्षों की वसूली स्थिति	18
8.	एजेण्डा नं. - 2 संतुलन पत्र 2013-2014	19-29
9.	एजेण्डा नं. - 3 लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र एवं प्रतिवेदन पर विचार	30
10.	एजेण्डा नं. - 4 अधिकतम दायित्व की सीमा का निर्धारण	30
11.	एजेण्डा नं. - 5 सहकारी वर्ष 2013-14 के शुद्ध लाभ के निस्तारण पर विचार	31
12.	एजेण्डा नं. - 6 सहकारी वर्ष 2013-14 के लिये स्वीकृत अनुमानित बजट के सापेक्ष वास्तविक आय-व्यय के अनुमोदन तथा 2014-15 एवं 2015-16 के अनुमानित बजट पर विचार	32
13.	एजेण्डा नं. - 7 आगामी सहकारी वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के लिए प्रस्तावित कार्यकलापों के अनुमोदन पर विचार	33
14.	शाखावार विविध विवरण	34



बैंक मुख्यालय/शाखायें

मुख्यालय :

नैनीताल रोड, ग्रीन सिटी, हल्द्वानी - 263139

दूरभाष : 220910, 220815, 220429 (लेखा) फ़ैक्स : (05946) 221712

E-mail : dcbhaldwani@gmail.com

ndcbhoac@gmail.com

क्र.सं.	शाखायें	कोड - दूरभाष कार्यालय
1.	मुख्य शाखा, नैनीताल रोड, हल्द्वानी	05946- 220126
2.	शाखा रेलवे बाजार, हल्द्वानी	05946- 250305
3.	नवीन मण्डी स्थल शाखा, हल्द्वानी	05946- 246037
4.	नगर शाखा, कृष्णा होटल, हल्द्वानी	05946- 250013
5.	पीलीकोठी शाखा, कालाढूंगी रोड, हल्द्वानी	05946- 261453
6.	नैनीताल	05942- 235018
7.	भवानी	05942- 220042
8.	जसपुरिया लाइन, रामनगर	05947- 251380
9.	डंगवाल बिल्डिंग पेंठ पड़ाव, रामनगर	05947- 251296
10.	कसियालेख	05942- 286422
11.	रामगढ़	05942- 281106
12.	पहाड़पानी	05942- 282321
13.	खनस्यूँ	05942- 212006
14.	गरमपानी	05942- 245521
15.	कोटाबाग	05947- 285033
16.	बेतालघाट	05942- 241605
17.	चोरगलिया	05945- 243703
18.	कालाढूंगी	05942- 242241
19.	नथूवाखान	05942- 285502
20.	हल्दूचौड़	05946- 212127
21.	भीमताल	05942- 247827
22.	बैलपड़ाव	05947- 286331
23.	भीमताल विस्तार पटल (विकास भवन)	05942- 248423
24.	धारी	05942- 246251
25.	पीरूमदारा	05947- 282004
26.	ट्रासपोर्ट नगर, हल्द्वानी	05946- 234241
27.	मालधन चौड़	05947- 221011
28.	ढोली गांव	8192903213
29.	कठघरिया, हल्द्वानी	8192900096



वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक की सूचना नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव बैंक लि०

प्रधान कार्यालय : नैनीताल रोड, हल्द्वानी - 263139

परिपत्र संख्या- सी-2/वा.सा.नि./2014-2015

दिनांक 03-09-2014

सूचना

नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव बैंक लि०, हल्द्वानी की 87वीं वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक दिनांक 21-09-2014 को बैंक मुख्यालय परिसर हल्द्वानी में प्रातः 11:30 बजे से होनी निश्चित हुई है। बैंक के समस्त प्रतिनिधियों से निवेदन है कि वे निर्धारित तिथि, स्थान व समय पर बैठक में सम्मिलित होने की कृपा करें। बैठक में विचारणीय विषय सूची निम्नवत् है:-

सभापति द्वारा आगन्तुकों का स्वागत।

1. पिछली वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक दिनांक 24-11-2013 की कार्यवाही की पुष्टि।
2. सहकारी वर्ष 31 मार्च 2014 के सन्तुलन पत्र, लाभ हानि खाता एवं वार्षिक प्रतिवेदन के अनुमोदन पर विचार।
3. वर्ष 2013-14 के लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर विचार।
4. सहकारी वर्ष 2014-15 हेतु निर्धारित अधिकतम दायित्व के निर्धारण पर विचार।
5. सहकारी वर्ष 2013-14 के शुद्ध लाभ के निस्तारण पर विचार।
6. सहकारी वर्ष 2013-14 के लिए स्वीकृत अनुमानित बजट के सापेक्ष वास्तविक आय-व्यय के अनुमोदन पर विचार।
7. सहकारी वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के लिये अनुमानित बजट की स्वीकृत पर विचार।
8. आगामी सहकारी वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के लिए प्रस्तावित कार्यकलापों के अनुमोदन पर विचार।
9. अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से किसी अन्य विषय पर विचार जो उपविधियों के अनुसार उनके समक्ष लाया जाये।

(बी.सी. पाण्डे)

सचिव/महाप्रबन्धक

नोट :

1. समस्त बैंक प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि अपनी समिति के सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा निर्गत फोटो युक्त परिचय पत्र बैठक में साथ लायें।
2. आलोच्य वर्षों से सम्बन्धित बैंक का आडिट प्रतिवेदन किसी भी कार्य दिवस में बैंक मुख्यालय में अवलोकित किया जा सकता है।



नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव बैंक लि०, हल्द्वानी वर्तमान संचालक मण्डल

क्र. सं.	नाम	निर्वाचन क्षेत्र	समिति का नाम जिसके प्रतिनिधि हैं	पद	फोन नम्बर
1.	श्री राजेन्द्र सिंह नेगी,	जिला स्तरीय समिति/संघ	नैनीताल जिला श्रम निर्माण एवं विपणन सह. संघ लि. हल्द्वानी	अध्यक्ष	का. 05946-220815 9927005878
2.	श्रीमती राधिका नयाल	धारी	साधन सह. समिति लि. लेटीबूंगा	उपाध्यक्ष	9917204821 9412361972
3.	श्री रमेश चन्द्र	ओखलकांडा	साधन सह. समिति लि. थलाड़ी	संचालक	8057504780
4.	श्रीमती मुन्नी देवी	कोटाबाग	साधन सह. समिति लि. पाण्डेगांव	संचालक	9412944247
5.	श्री जंगबहादुर सिंह मेहरा	बेतालघाट	साधन सह. समिति लि. बर्धो	संचालक	9412943613
6.	श्री गोविन्द सिंह	भीमताल	साधन सह. समिति लि. नौलशाहखोला	संचालक	8755849999
7.	श्रीमती किरन नेगी	रामगढ़	साधन सह. समिति लि. नथुवाखान	संचालक	05946-250232
8.	श्री महिपाल सिंह डंगवाल	रामनगर	साधन सह. समिति लि. प. रामनगर	संचालक	9412438575
9.	श्री राजेन्द्र सिंह रावत	हल्द्वानी	साधन सह. समिति लि. फतेहपुर	संचालक	9410512568
10.	श्री पूरन सिंह जलाल	क्रय-विक्रय/विपणन सहकारी समितियां	शाक एवं फल सहकारी क्रय-विक्रय समिति लि. गरमपानी	संचालक	9639378196
11.	श्री संजय किरौला	विशेष सहकारी समितियाँ	माँ देवी भवानी कृषि उत्पादन एवं रसायन विपणन सहकारी संचालक समिति लि. लामाचौड़	संचालक (03.01. 2014 तक)	9837038505
12.	श्री संजय वर्मा	राज्य सरकार द्वारा नामित निर्दिष्ट	राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट	संचालक	9412039210
13.	श्री दिनेश चन्द्र लोहनी	सहयोजित		संचालक	8057209127
14.	श्री सुरेन्द्र सिंह जीना	सहयोजित		संचालक	9756649968
15.	श्री देवीदत्त गुरुरानी	राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट	जिला सहायक निबंधक सहकारी समितियाँ उत्तराखण्ड, नैनीताल	संचालक	का. 05942-248302 9837093964



बैंक के वर्तमान मुख्य अधिकारी

क्र.सं.	नाम	पद	दूरभाष	
			कार्यालय	निवास
1.	श्री बी०सी० पाण्डे	सचिव/महाप्रबन्धक	05946-220910 05946-221712	8475873222
2.	श्री मनोज कुमार	उप-महाप्रबन्धक (प्रशासन/विकास)	05946-220910	8475872333
3.	श्री अशोक कुमार वर्मा	उप-महाप्रबन्धक (स०नि०/लेखा)	05946-220429	8475872444



नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव बैंक लि०, हल्द्वानी अध्यक्षीय सम्बोधन

आदरणीय सम्मानित प्रतिनिधिगण एवं विशेष आमंत्रित अतिथिगण,

बैंक की 87वीं वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक के शुभ अवसर पर मैं समस्त संचालक मण्डल एवं बैंक परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन करता हूँ।

वर्ष 2014-15 का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए मैं अत्यन्त हर्ष एवं गौरव का अनुभव कर रहा हूँ। बैंक द्वारा 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार निर्धारित समय के भीतर वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक सम्पन्न करायी जा रही है।

सभी सहकारी बन्धुओं के लिए हर्ष का विषय है कि सहकारिता को भी भारतीय संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत पंचायती राज एक्ट की तरह मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है, जिसके लिए हम भारत सरकार एवं राज्य सरकार का आभार व्यक्त करते हैं।

प्रतिवेदन से पूर्व मैं आपके सम्मुख बैंक की स्थापना से सम्बन्धित स्मरण कराना चाहता हूँ। अविभाज्य जनपद नैनीताल में सहकारिता का सूत्रपात सन् 1904 में खटीमा में दो ग्राम समितियों तथा एक ग्राम बैंक स्थापित होने से हुआ। कारोबार बढ़ने पर सन् 1913 में खटीमा सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के रूप में स्थापित/नामान्तरित हुआ। सन् 1920 में जब सहकारी आन्दोलन तराई-भाबर क्षेत्र में विस्तारित हुआ, बैंक का प्रधान कार्यालय हल्द्वानी में स्थापित किया गया और तराई भावर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक हल्द्वानी के नाम से निबन्धित हुआ। सन् 1947 में सहकारिता के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों को भी सम्मिलित किया गया। रिजर्व बैंक की रूरल क्रेडिट सर्वे रिपोर्ट के अपनाये जाने तथा बैंक की प्रगति पर सन् 1957 में सहकार एवं सहकारिता विभाग के सहयोग से तैयार किये गये मॉडल बायलॉज बैंक में लागू किये गये तब से इसको नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि०, हल्द्वानी के नाम से जाना जाता है। तत्कालीन समस्त संचालक मण्डल एवं कर्मचारियों-अधिकारियों को मैं व बैंक संचालक मण्डल नमन करता है। जहाँ 1957-58 का लाभ मात्र मु० उन्नीस हजार एक सौ रू० था वहीं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक के विभाजन से पूर्व वर्ष 2004 में अविभाज्य बैंक का शुद्ध लाभ 12,22,40,000.00 (मु० बारह करोड़ बाईस लाख चालीस हजार मात्र) हुआ। जनपद के कृषकों को आज भी सहकारी बैंक पर पूर्ण विश्वास है तथा जनपद के सभी बैंकों की तुलना में हम कृषि क्षेत्र में 31.87 प्रतिशत कृषि ऋण वितरण कर रहे हैं, जो इस जनपद के कृषकों का सहकारिता में विश्वास के फलस्वरूप कायम है।

अपने सदस्यों एवं ग्राहकों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में हमारा बैंक अहम् भूमिका अदा कर रहा है। वर्तमान बैंकिंग प्रतिस्पर्धा के दौर में अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिये हमारे सम्मुख कठिन चुनौतियाँ थीं और हैं। अन्य बैंकों की भाँति हमारे बैंक में भी सूचना क्रान्ति का सूत्रपात हो गया है। नाबार्ड के सहयोग एवं माननीय सहकारिता मंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड की सभी शाखायें सी०बी०एस० से जुड़ गयी हैं, जिसकी कई वर्षों से बैंकिंग व्यवसाय हेतु अपेक्षा थी। जिससे बैंक के ग्राहक बैंक की किसी भी शाखा से लेन-देन कर सकते हैं। यह भी अवगत कराते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है कि बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को आर०टी०जी०एस० (RTGS) एवं नेफ्ट (NEFT) की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है, जिससे देश के किसी भी हिस्से से धन बैंक खाते में हस्तान्तरित किया जा सकता है। बैंक का ए०टी०एम० कार्ड लान्च हो चुका है, जो किसी भी बैंक के ए०टी०एम० में प्रयोग किया जा सकता है, शीघ्र ही बैंक ग्राहकों को ए०टी०एम० कार्ड उपलब्ध करा दिये जायेंगे। भविष्य में कृषक सदस्य स्वीकृत अंश 'क' की ऋण सीमा तक क्रेडिट कार्ड (Rupay Card) से देश के किसी भी हिस्से में ए०टी०एम० से धन आहरित कर सकेंगे। सर्वप्रथम ए०टी०एम० मुख्य स्थानों तथा हल्द्वानी



में 02, नैनीताल 01, रामनगर 01 तथा भवाली में 01, कुल 05 ए0टी0एम0 बैंक द्वारा स्थापित किये जा रहे हैं। इस प्रकार यह बैंक अपने सदस्यों एवं ग्राहकों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने कुशल प्रबन्धन, प्रभावशाली नेतृत्व, उत्कृष्ट कार्य निष्पादन क्षमता एवं विकासोन्मुखी भूमिका अदा करने के कारण राज्य में अपनी विशिष्ट छवि बनाये हुए है। आलोच्य अवधि में बैंक की कार्यशील पूँजी 824.79 करोड़ ₹0 हो गयी है एवं बैंक का कर पश्चात् 31 मार्च 2014 को शुद्ध लाभ 5.51 करोड़ ₹0 है।

मान्यवर आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि पूर्व में प्रमुख सचिव, सहकारिता के आदेशों के तहत उत्तराखण्ड सरकार के अधीन सरकारी विभागों द्वारा शासकीय धनराशि जिला सहकारी बैंक में निक्षेप के रूप में रखी जाती थी, जो कि वर्तमान में नहीं रखी जा रही है। चूँकि वर्तमान में जिला सहकारी बैंक पूर्णतया सी0बी0एस0 युक्त हो चुका है साथ ही आर0टी0जी0एस0 (RTGS) एवं नेफ्ट (NEFT) की सुविधा भी उपलब्ध करायी जा रही है अतः पुनः राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सभी सरकारी विभागों को राज्य सरकार से संबंधित खातों की धनराशि जिला सहकारी बैंक में रखे जाने के निर्देश जारी करवाये जाने हेतु इस मंच के माध्यम से अनुरोध करता हूँ।

जनपद नैनीताल की भौगोलिक स्थिति पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्र की है। बैंक की शाखायें मैदानी एवं सुदूर पर्वतीय अन्वलय में अपने ग्राहकों एवं कृषकों को सेवायें प्रदान कर रही हैं। जनपद में बैंक 29 शाखाओं एवं 53 प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को सहकारिता-सहभागिता योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लघु एवं सीमान्त कृषकों को अल्पकालीन फसली ऋण, मध्यकालीन ऋण, ट्रैक्टर/कृषि यन्त्र हेतु पचास हजार तक की धनराशि पर 5 प्रतिशत एवं पचास हजार से तीन लाख तक 5.50 प्रतिशत की दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के अन्तिम गांव व व्यक्ति तक बैंक द्वारा शासकीय योजनाओं जैसे - डेयरी/दुग्ध विकास योजना, स्वर्ण जयन्ती ग्राम्य स्वरोजगार योजना, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान, ग्रामीण आवास एवं वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण सुविधा प्रदान करायी जा रही है। व्यवसाय विविधीकरण योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत सदस्यों को उपभोक्ता टिकाऊ ऋण, शिक्षा ऋण, वाहन ऋण, भवन ऋण, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड ऋण योजना, व्यवसायिक ऋण सीमा एवं राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं के लिए भी ऋण सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है, ताकि अधिक से अधिक रोजगार का सृजन हो सके। वर्ष 2013-14 में उक्त उल्लिखित मदों में अंकन 177.15 करोड़ ₹0 ऋण वितरण किया गया है।

सहकारिता सहभागिता योजना के तहत कृषकों को वितरित ऋणों पर वर्ष 2005-06 से माह मार्च 2014 तक कुल 6.94 करोड़ ₹0 राज्य सरकार के ब्याज अनुदान पाना अवशेष है। वर्तमान में बैंक द्वारा अपने संसाधनों से रियायती दर पर किसानों को ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है।

यह भी संज्ञान में लाना है कि वर्ष 2012-13 में एन0पी0ए0 5.58 प्रतिशत था जो कि बैंक प्रबन्धन एवं कर्मचारियों के अथक प्रयास से वर्ष 2013-14 में 4.52 प्रतिशत रह गया, जो कि नाबार्ड के निर्धारित मानक 5 प्रतिशत से कम है।

वर्तमान में परिवेश में बढ़ती आबादी व घटते कृषि श्रोत्रों के कारण हमें अपनी समितियों को बहुआयामी बनाने का प्रयास करना होगा ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीहण विकास हेतु समितियों के माध्यम से कृषि कार्यों के साथ-साथ कृषि से जुड़े दूसरे व्यवसाय जैसे- दुग्ध व्यवसाय, मुर्गीपालन, मौन पालन एवं फ्लोरीकल्चर व घरेलू उत्पाद के विपणन केन्द्र आदि क्रिया-कलापों के ऋण वितरण हेतु गम्भीरता से प्रयास करने होंगे। ग्रामीण स्वरोजगार व आर्थिक दृढ़ता के लिए समिति एवं सदस्यों के सहयोग अपेक्षित हैं। इस दिशा में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा भी पहल की जा रही है। ताकि संस्थायें अपने हितों की रक्षा के उपाय व समस्याओं के समाधान की राह स्वयं खोजें साथ ही संस्था को संतुलित व पारदर्शी तथा सदस्य उद्यमी, स्वावलम्बी एवं समृद्धिशाली बनें।

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों एवं निर्बल वर्ग के लोगों में बचत को प्रोत्साहित करने हेतु जनपद में 51 समितियों में मिनी बैंकों के माध्यम से बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। मिनी बैंकों के द्वारा आलोच्य वर्ष में अंकन 80.15 करोड़



रू0 की डिपोजिट एकत्र की गयी है, जो एक सराहनीय प्रयास है।

वर्तमान में बैंक की जनपद में 29 शाखायें कार्य कर रही हैं। 01 नवीन शाखा नबाबी रोड, हल्द्वानी (दोनहरिया) के पास खोलने जा रहे हैं। मुख्य भवन एवं शाखाओं के सौन्दर्यीकरण का कार्य चल रहा है। साथ ही पूर्व स्वीकृत स्व0 श्री रघुवर सिंह महारा सभाकक्ष का निर्माण भी करया जायेगा तथा शीघ्र ही चयनित क्षेत्र में बैंक की शाखा खोली जा रही है। आगामी वर्षों में पर्वतीय क्षेत्रों जहां दूर-दूर तक बैंकिंग सुविधा नहीं है, उन क्षेत्रों को चिन्हित कर अतिशीघ्र बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बैंक प्रयास करेगा।

माननीय सहकारिता मंत्री जी के निर्देशन पर कृषक सदस्य (के.सी.सी. धारक) को 3.00 लाख तक के व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना से आच्छादित किया जा चुका है। इस योजना में बीमा प्रीमियम की 50 प्रतिशत राशि बैंक द्वारा 25 प्रतिशत समिति द्वारा एवं 25 प्रतिशत राशि सदस्य/ऋणी कृषक द्वारा वहन की जा रही है। कृषक सदस्यों के हितार्थ अन्य कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया जायेगा। इसके अतिरिक्त न्यूनतम प्रीमियम पर न्यूनतम 50 हजार का सामूहिक जीवन बीमा करने की योजना प्रस्तावित है तथा फलोत्पादक कृषक सदस्यों हेतु ऋण सीमा स्वीकृत करने की योजना भी प्रस्तावित है। साथ ही सदस्य समितियों के जीर्णोद्धार व शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु एक कोष का भी सृजन किया जाना प्रस्तावित है, जिसका सृजन देय लाभांश से किया जाना है।

इसी क्रम में आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहूंगा कि माननीय सहकारिता मंत्री जी का प्रथम लक्ष्य उत्तराखण्ड के जिला सहकारी बैंकों में वर्तमान बैंकिंग प्रतिस्पर्धा में सी0बी0एस0 प्रणाली लागू कराना, भारतीय संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम को लागू कराना, स्टेट वेयर हाउस की स्थापना कराना, जिला सहकारी बैंक में दीर्घ अवधि से रिक्त चले आ रहे पदों पर कर्मचारियों की भर्ती कराना रहा है तथा सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधायें उपलब्ध कराना आपकी प्राथमिकता रही है, जिसके लिए सभी सहकारी बन्धु आपका पुनः हृदय से आभार व्यक्त करते हैं तथा आपसे निवेदन भी करते हैं कि भारतीय संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम के अनुरूप उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम में परिवर्तन किया जाय तथा राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग व निर्वाचन नियमावली बनायी जाय।

बैंक की प्रगति में समस्त सहकारी बन्धुओं, जनप्रतिनिधियों, सहकारिता विभाग एवं बैंक के अधिकारियों व कर्मचारियों, अपर निबन्धक एवं जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड को धन्यवाद देता हूँ, जिनके अथक सहयोग से बैंक आज सृष्टि स्थिति में है। आशा करता हूँ कि बैंक की प्रगति हेतु हमें आपके बहुमूल्य सुझाव प्राप्त होंगे, जो कि बैंक के कार्य संचालन में हमारा निरन्तर पथ प्रदर्शन करेंगे।

अन्त में आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। मैं आयुक्त, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, निबन्धक, सहकारी समितियाँ उत्तराखण्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, राज्य सहकारी बैंक एवं लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारियों एवं अंशुल अग्रवाल एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके द्वारा समय-समय पर हमारा सहयोग एवं मार्गदर्शन किया जा रहा है।

सहकारी अभिनन्दन के साथ !

मानव जीवन का आधार परस्पर संवाद व सहयोग।
शिक्षा व सहकारिता हमारा साधन- सर्वोदय हमारा लक्ष्य।
गांव से शहर नहीं - शहर से गांव की ओर।
जय हिन्द! जय भारत! जय सहकार!

राजेन्द्र सिंह नेगी
अध्यक्ष



नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि०, हल्द्वानी

कार्यवाही बैठक सामान्य निकाय दिनांक 24 नवम्बर, 2013

समय 11.30 बजे पूर्वान्ह
कोरम संख्या- 50

स्थान - बैंक मुख्यालय
उपस्थिति - 405

बैंक की 86वीं वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक का शुभारम्भ मुख्य अतिथि यशपाल आर्य माननीय मंत्री, राजस्व, आपदा, सिंचाई, ग्रामीण अभियन्त्रण, जलागम एवं सहकारिता, उत्तराखण्ड सरकार के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। श्री राजेन्द्र सिंह नेगी अध्यक्ष, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि० हल्द्वानी के द्वारा बैठक की अध्यक्षता की गयी उनके द्वारा मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि श्री संजीव आर्य, अध्यक्ष उत्तराखण्ड राज्य सरकारी बैंक लि०, हल्द्वानी तथा समस्त सम्मानित प्रतिनिधियों एवं अतिथियों का स्वागत किया गया एवं बैंक के कार्यकलापों तथा आगामी योजनाओं पर प्रकाश डाला गया। मुख्य अतिथि माननीय सहकारिता मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अपने सम्बोधन में बैंक के सी.बी.एस. कम्प्यूटरीकरण, कर्मचारी चयन पर की गयी कार्यवाही से अवगत कराते हुए सहकारी संस्थाओं के विकास में तथा उनकी समस्याओं के निदान हेतु शासन स्तर से हर सम्भव प्रयास किये जाने का आश्वासन दिया। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि० हल्द्वानी के द्वारा किये गये कार्यों की सराहना करते हुए जनपद के विकास में बैंक की भागीदारी और बढ़ाये जाने हेतु कार्य किये जाने का आह्वान किया गया। यह भी अपेक्षा की गयी कि सामान्य निकाय की वार्षिक बैठक प्रत्येक वर्ष नियमानुसार आहूत की जाय ताकि विचारों का आदान-प्रदान हो सके, जिससे जनपद के विकास हेतु रणनीति तैयार किये जाने में सहायता प्राप्त होती है। अध्यक्ष महोदय द्वारा अपने सम्बोधन में सदस्य समितियों हेतु 20 प्रतिशत लाभांश की घोषणा करते हुए अनुमोदन की अपेक्षा की गयी। यह भी अवगत कराया गया कि अधिकतम मु० 100.00 रू० की प्रीमियम की धनराशि पर मु० 5.00 लाख रू० की सीमा तक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा आच्छादित होगा तथा दुर्घटना में आंशिक क्षति होने पर भी नियमानुसार बीमा की धनराशि का भुगतान संबंधित को मिलेगा तथा बैंक के निक्षेप व ऋण खाताधारकों को उनकी सहमति के आधार पर व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा से आच्छादित किया जायेगा। समितियों के किसान क्रेडिट धारकों/ऋणी सदस्यों व मिनी बैंक के खाता धारकों को भी अधिकतम मु० 60.00 रू० प्रीमियम की धनराशि पर मु० 3.00 लाख रू० तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कराया जायेगा तथा स्वाश्रयी समितियों में प्रीमियम की धनराशि का 50 प्रतिशत खाताधारक द्वारा तथा 25-25 प्रतिशत क्रमशः संबंधित समिति व बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। इम्बैलेन्स व हानि की समितियों में प्रीमियम की धनराशि का 50 प्रतिशत खाता धारक द्वारा तथा शेष 50 प्रतिशत प्रीमियम की धनराशि बैंक द्वारा वहन की जायेगी। अध्यक्ष महोदय द्वारा मुख्य अतिथि का आभार व्यक्त किया गया, जिन्होंने बैठक का शुभारम्भ किये जाने हेतु बहुमूल्य समय प्रदान किया तथा सामान्य निकाय को सम्बोधित करते हुए अपने बहुमूल्य विचारों से लाभान्वित किया। अध्यक्ष महोदय के सम्बोधन उपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।



प्रस्ताव संख्या - 1

पिछली वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक दिनांक 21-11-2010 की कार्यवाही की पुष्टि पर विचार

सामान्य निकाय की विगत वार्षिक बैठक दिनांक 21-11-2010 की कार्यवाही जो कि वार्षिक प्रतिवेदन के पृष्ठ संख्या 10 से 12 तक में अंकित है, पर विचार किया गया तथा विचारोपरान्त सर्व सम्मति से विगत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव संख्या - 2

सहकारी वर्ष 31 मार्च 2011, 31 मार्च 2012 एवं 31 मार्च 2013 के सन्तुलन पत्र तथा वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 के लाभ हानि खाता एवं वार्षिक प्रतिवेदन के अनुमोदन पर विचार

सहकारी वर्ष 31 मार्च 2011, 31 मार्च 2012 एवं 31 मार्च 2013 के सन्तुलन पत्र तथा वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 के लाभ हानि का विवरण, जो कि वार्षिक प्रतिवेदन के पृष्ठ संख्या 15 से 32 तक में अंकित है, का विचारोपरान्त सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया। साथ ही बैंक द्वारा प्रस्तुत 86वें वार्षिक प्रतिवेदन में दर्शित विवरण पर विचार किया गया तथा विचारोपरान्त सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या - 3

वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 के लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर विचार।

सहकारी वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 के लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र जो कि वार्षिक प्रतिवेदन के पृष्ठ संख्या 18, 24 एवं 30 पर अंकित है, पर विचार किया गया तथा विचारोपरान्त सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया। साथ ही आलोच्य वर्षों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं बैंक द्वारा प्रस्तुत अनुपालन आख्या का भी सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया। यह भी तय किया गया कि वर्ष 2012-13 से संबंधित आपत्तियां प्राप्त होने पर उनका अनुपालन कर अनुपालन आख्या प्रबन्ध समिति के द्वारा अनुमोदन उपरान्त विभाग को प्रेषित की जाय। उक्त का भी सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या - 4

सहकारी वर्ष 2013-14 एवं सहकारी वर्ष 2014-15 हेतु निर्धारित अधिकतम दायित्व के निर्धारण पर विचार।

सहकारी वर्ष 2013-14 एवं सहकारी वर्ष 2014-15 हेतु प्रस्तावित अधिकतम दायित्व जो कि वार्षिक प्रतिवेदन के पृष्ठ संख्या 37 पर अंकित है, पर विचार किया गया, जिसका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	निजी पूँजी (करोड़ रू.)	प्रस्तावित अधिकतम दायित्व (करोड़ रू. में)
2013-14	58.94	884.10
2014-15	71.50 (प्रस्तावित)	1072.50



उक्त स्थिति पर विचारोपरान्त उक्त वर्षों हेतु प्रस्तावित अधिकतम दायित्व का सर्व सम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। अग्रेतर कार्यवाही हेतु सचिव/महाप्रबन्धक को अधिकृत किया गया।

प्रस्ताव संख्या - 5

सहकारी वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 के शुद्ध लाभ के निस्तारण पर विचार।

सहकारी वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में अर्जित शुद्ध लाभ के वितरण हेतु प्रस्तावित विवरण जो कि वार्षिक प्रतिवेदन के पृष्ठ संख्या 38 से 40 तक में दर्शित है, का अवलोकन किया गया। प्रस्तावित लाभ वितरण में सदस्य समितियों को लाभांश 20 प्रतिशत दिये जाने की सर्व सम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

प्रस्ताव संख्या - 6

सहकारी वर्ष 2010-11, वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 के लिए स्वीकृत अनुमानित बजट के सापेक्ष वास्तविक आय-व्यय के अनुमोदन पर विचार।

सहकारी वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 के लिए स्वीकृत अनुमानित बजट के सापेक्ष वास्तविक व्यय का विवरण जो कि वार्षिक प्रतिवेदन के पृष्ठ संख्या 41 एवं 42 पर अंकित है, पर विचार किया गया तथा विचारोपरान्त सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या - 7

सहकारी वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के लिए अनुमानित बजट की स्वीकृति पर विचार।

सहकारी वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के लिये प्रस्तावित अनुमानित बजट का विवरण जो कि वार्षिक प्रतिवेदन के पृष्ठ संख्या 42 पर अंकित है, पर विचार किया गया तथा विचारोपरान्त सर्व सम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

प्रस्ताव संख्या - 8

सहकारी वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के लिए प्रस्तावित कार्यकलापों के अनुमोदन पर विचार।

सहकारी वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के लिए प्रस्तावित कार्यकलापों का विवरण जो कि वार्षिक प्रतिवेदन के पृष्ठ संख्या 43 पर अंकित है, पर विचार किया गया तथा विचारोपरान्त सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया।

अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्ताव संख्या-9 (1)

जनपद की विगत 10-15 वर्ष से बकायादार समितियाँ, जिनके द्वारा कोई कारोबार नहीं किया जा रहा है तथा जिनका वर्तमान में कोई अता-पता नहीं है, की लाभांश राशि व उनके जमा अंशधन को बकाया ऋण में समायोजित करते हुए उनकी सदस्यता समाप्त किये जाने पर विचार।

श्री हिम्मत सिंह नयाल, प्रतिनिधि लेटीबूँगा साधन सहकारी समिति लि०, श्री नन्दन सिंह बिष्ट, श्री प्रताप सिंह, मो० अनवार, अध्यक्ष केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भण्डार लि०, हल्द्वानी आदि द्वारा प्रस्तावित किया गया कि जनपद की विगत 10-15 वर्ष से बकायादार समितियाँ, जिनके द्वारा कोई कारोबार नहीं किया जा रहा है तथा जिनका वर्तमान में कोई अता-पता नहीं किया जा रहा है, की लाभांश राशि व उनके जमा अंशधन को बकाया ऋण में समायोजित करते हुए उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाये।



उक्त प्रस्ताव का सभी प्रतिनिधियों/सदस्यों द्वारा समर्थन करते हुए जनपद की विगत 10-15 वर्ष से बकायादार समितियाँ, जिनके द्वारा कोई कारोबार नहीं किया जा रहा है तथा जिनका वर्तमान में कोई अता-पता नहीं है, की लाभांश राशि व उनके जमा अंशधन को बकाया ऋण में समायोजित करते हुए उनकी सदस्यता समाप्त किये जाने का सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या-9 (2)

जनपद की कतिपय समितियों में इम्बैलेन्स/बकाया विद्यमान है, को मिलने वाली लाभांश राशि को उनके इम्बैलेन्स/बकाया ऋण में समायोजित किये जाने पर विचार।

श्री हिम्मत सिंह नयाल, प्रतिनिधि लेटीबूंगा साधन सहकारी समिति लि०, श्री नन्दन सिंह बिष्ट, श्री प्रताप सिंह, मो० अनवार, अध्यक्ष केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भण्डार लि०, हल्द्वानी आदि द्वारा प्रस्तावित किया गया कि जनपद की कतिपय समितियों में इम्बैलेन्स/बकाया विद्यमान है तथा जो समितियाँ हानि पर कार्य कर रही हैं, को मिलने वाली लाभांश राशि को उनके इम्बैलेन्स/बकाया ऋण में समायोजित कर दिया जाये।

उक्त प्रस्ताव का सभी प्रतिनिधियों/सदस्यों द्वारा समर्थन करते हुए जनपद की जिन समितियों में इम्बैलेन्स/बकाया विद्यमान है तथा जो समितियाँ हानि पर कार्यरत हैं को उनकी जमा अंशधन राशि पर मिलने वाली लाभांश राशि को उनके इम्बैलेन्स/बकाया ऋण में समायोजित किये जाने का सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या - 9 (3)

पूर्व में स्वीकृत बैंक सभागार भवन का निर्माण कराये जाने पर विचार।

श्री जंगबहादुर सिंह मेहरा, श्री राजेन्द्र सिंह रावत, संचालक नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव बैंक लि०, हल्द्वानी, श्री संजय किरौला, प्रतिनिधि लालकुआ दुग्ध सहकारी संघ लि०, श्री हिम्मत सिंह नयाल, प्रतिनिधि लेटीबूंगा साधन सहकारी समिति लि०, श्री किरन मेहरा, प्रतिनिधि, श्री केशर सिंह, श्री विक्रम सिंह, श्री नन्दन सिंह बिष्ट, श्री प्रताप सिंह, मो० अनवार, अध्यक्ष केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भण्डार लि०, हल्द्वानी आदि द्वारा प्रस्तावित किया गया कि पूर्व में स्वीकृत बैंक भवन सभागार का निर्माण शीघ्र कराया जाये तथा प्रस्तावित सभागार भवन में अतिथि गृह बनाये जाने का प्रावधान रखा गया है जोकि औचित्यहीन है, उसे नहीं बनवाया जाये उसके स्थान पर एक बड़ा हाल बनाकर किसी संस्था को किराये पर दिया जाये जाकि भवन में जो लागत आयेगी, उसकी भरपाई भी हो सकेगी। किराये पर दिये जाने



हेतु विभाग, रिजर्व बैंक व नाबार्ड से स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये।

उक्त प्रस्ताव का सभी उपस्थित प्रतिनिधियों/सदस्यों द्वारा समर्थन करते हुए उक्तानुसार बैंक सभागार भवन का निर्माण कराया जाने का सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या - 9 (4)

बैंक/समिति के खाताधारकों व किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को उनकी सहमति के आधार पर व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू किये जाने पर विचार।

श्री संजय किरौला, प्रतिनिधि लालकुँआ दुग्ध सहकारी संघ लि०, श्री राजेन्द्र सिंह रावत, श्री जंगबहादुर सिंह मेहरा, संचालक नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव बैंक लि०, हल्द्वानी, श्री हिम्मत सिंह नयाल, प्रतिनिधि लेटीबूंगा साधन सहकारी समिति लि०, श्री किरन मेहरा, प्रतिनिधि, श्री केशर सिंह, श्री विक्रम सिंह, श्री नन्दन सिंह बिष्ट, श्री प्रताप सिंह, मो० अनवार, अध्यक्ष केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भण्डार लि०, हल्द्वानी आदि द्वारा प्रस्तावित किया गया कि बैंक की सदस्य समितियों/बैंक के ग्राहकों/सदस्यों हेतु दुर्घटना बीमा योजना लागू की जाये।

उक्त प्रस्ताव का सभी उपस्थित प्रतिनिधियों/सदस्यों द्वारा समर्थन करते हुए बैंक की सदस्य समितियों/बैंक के ग्राहकों/सदस्यों हेतु दुर्घटना बीमा योजना अतिशीघ्र लागू किये जाने का सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या - 9 (5)

अन्य सुझाव-

(क) श्री संजय किरौला, प्रतिनिधि लालकुँआ दुग्ध सहकारी संघ लि०, श्री राजेन्द्र सिंह रावत, श्री जंगबहादुर सिंह मेहरा, संचालक नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव बैंक लि०, हल्द्वानी, श्री हिम्मत सिंह नयाल, प्रतिनिधि लेटीबूंगा साधन सहकारी समिति लि०, श्री किरन मेहरा, प्रतिनिधि, श्री केशर सिंह, श्री विक्रम सिंह, श्री नन्दन सिंह बिष्ट, श्री प्रताप सिंह, मो० अनवार, अध्यक्ष केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भण्डार लि०, हल्द्वानी आदि द्वारा प्रस्तावित किया गया कि राज्य सरकार के बैंक में विनियोजित अंशधन को शीघ्रातिशीघ्र वापस किया जाये।

(ख) श्री नवीन चन्द्र पनेरू, श्री कुन्दन सिंह गौनियां, प्रतिनिधि अमझड़ साधन सहकारी समिति लि०, श्री केदारदत्त पलड़िया प्रतिनिधि बानना साधन सहकारी समिति लि०, श्री विशनदत्त लोशाली, मोटाहल्दू सिसन सेवा सहकारी समिति लि०, श्री हीरा सिंह जीना एवं श्री भगवन्त सिंह प्रतिनिधि ज्योलीकोट किसान सेवा सहकारी समिति लि०, श्री नारायण



दत्त कफलिटया प्रतिनिधि ओखलकाण्डा साधन सहकारी समिति लि०, श्री भूपेन्द्र सिंह रावत, दीनबन्धु श्रम संविदा सह० समिति बिन्दुखत्ता लालकुँआ भौँसा (जमरानी) मोटाहल्दू, ज्योलीकोट (वल्लियाखान) एवं विकास खण्ड ओखलकाण्डा के अन्तर्गत बैंक की शाखा खोली जाय।

(ग) श्री भुवन चन्द्र ढौँढियाल, प्रतिनिधि कोटाबाग साधन सहकारी समिति लि०, के द्वारा अवगत कराया गया कि मौसम (कोहरा आदि) एवं सूखे की स्थिति में वसूली में शिथिलता की नीति बनाते हुए वसूली में समय सीमा बढ़ायी जाये।

(घ) श्री कैलाश चन्द्र श्री चन्द्र बल्लभ प्रतिनिधि धानाचूली साधन सहकारी समिति लि० के द्वारा अवगत किया गया कि विगत में दैवीय आपदा से सभी किसानों की फसल को नुकसान हुआ है, जिन किसानों द्वारा फसल का बीमा कराया गया है, उन्हें मुआवजा दिलाया जाये।

(ङ) श्री देवेन्द्र सिंह बिष्ट, प्रतिनिधि पर्वतीय पुष्प उत्पादन एवं विपणन सहकारी समिति लि० कसियालेख के द्वारा अवगत करया गया कि किसानों की जरूरत को देखते हुए फूलों के बीज खरीदने के लिए पर्वतीय पुष्प उत्पादन एवं विपणन सहकारी समिति लि०, कसियालेख की ऋण सीमा निर्धारित की जाय जिसमें न्यूनतम 1.00 करोड़ रू० ऋण सीमा निर्धारित की जाये। क्योंकि इसका बीच विदेश हॉलेण्ड से कन्टेनरों के द्वारा मंगाया जाता है। इतनी बड़ी राशि समिति/सदस्यों के पास उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसके लागू होने पर फ्लोरीकल्चर की खेती को आगे बढ़ाया जा सकता है।

(च) श्री पंकज सुयाल, प्रतिनिधि/अध्यक्ष जिला सहकारी संघ लि०, हल्द्वानी, श्री गोपाल सिंह गंगोला, प्रतिनिधिकुँवरपुर किसान सेवा सहकारी समिति लि०, श्री राम सिंह नगरकोटी, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना प्रतिनिधि जिला सहकारी संघ लि०, हल्द्वानी के द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में नाबार्ड तथा बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में हाई टैक्नालॉजी एग्रीकल्चर, फ्लोरीकल्चर, एग्रो प्रोसिसिंग, डेयरी आदि विषय से संबंधित जानकारी के सम्बन्ध में जर्मनी दिनांक 31-08-2013 से 9-9-2013 तक भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक एवं जिला सहकारी बैंकों के कतिपय अध्यक्षगणों



के साथ नैनीताल जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष महोदय माननीय श्री राजेन्द्र सिंह नेगी जी द्वारा भी भाग लिया गया तथा हाई टैक्नालॉजी एग्रीकल्चर, फ्लोरीकल्चर, एग्रो प्रोसेसिंग, डेयरी आदि के अनुभव की ही देन है कि जनपद नैनीतालमें भी फ्लोरीकल्चर व डेयरी आदि विकासोन्मुख हैं तथा इसका निश्चित तौर पर बैंक को लाभ मिला है। जिसका हम प्रतिनिधिगया धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उक्त का अनुमोदन करते हैं। अतः भविष्य के लिए भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किये जायें तथा उक्त कार्यक्रमों में बैंक प्रबन्ध सतिति के सदस्यगणों तथा समिति के अध्यक्ष/संचालक गणों को भी शामिल किया जाये।

(छ) श्री कुन्दन सिंह गौनियां एवं श्री नवीन चन्द्र पनेरू प्रतिनिधि अमझड़ साधन सहकारी समिति लि०, अमझड़ एवं श्री नारायण दत्त कफल्टिया, प्रतिनिधि, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष ओखलकाण्डा साधन सहकारी समिति लि०, ओखलकाण्डा के द्वारा अवगत किया गया कि समिति का भवन कार्यालय जिला योजना के अन्तर्गत बनाया जाय। सभी साधन सहकारी समितियों को आधुनिक संचार क्रान्ति के युग में कार्यालय उपयोग हेतु कम्प्यूटर उपलब्ध कराये जायें।

(5) श्री हिम्मत सिंह बिष्ट, प्रतिनिधि किसान सेवा सहकारी समिति लि०, हल्द्वानी के द्वारा अवगत कराया गया कि मिनी बैंकों में मात्र 50000.00 रु० कैश इन सेफ में रखने की व्यवस्था है, जो कि दैनिक कार्यों के संचालन हेतु कम है, इसमें वृद्धि कर मु० 1,50,000.00 रु० कैश इन सेफ में रखने की व्यवस्था की जाये।

(झ) श्री दिनेश चन्द्र जोशी, प्रतिनिधि मोटाहल्दू किसान सेवा सहकारी समिति लि०, ने अवगत कराया गया कि फसली ऋण किसानों को मिनी बैंकों के माध्यम से दिया जाये।

(ट) श्री विशनदत्त लोशाली प्रतिनिधि मोटाहल्दू किसान सेवा सहकारी समिति लि०, ने अवगत कराया गया कि खरीफ व रबी की डिमांड अन्य बैंकों की भाँति वर्ष में एक बार लगायी जाये तथा ऋण की अदायगी भी वर्ष में एक बार ही की जाय।

(ठ) श्री तारा सिंह बिष्ट, प्रतिनिधि सौड़ साधन सहकारी समिति लि०, के द्वारा अवगत कराया गया कि मिनी बैंकों में समाज कल्साण विभाग द्वारा विधवा, वृद्धावस्था पेंशन व



विकलांग पेंशन के खाते खुलवाये जायें।

(ड) श्री प्रकाश चन्द्र भगत, श्री विपिन चन्द्र सनवाल, श्री विरेन्द्र सिंह महारा, श्री रमेश चौनाल, श्री मुन्ना लाल एवं श्रीमती गीता भट्ट प्रतिनिधि भीमताल साधन सहकारी समिति लि०, के द्वारा अवगत करया गया कि बैंक की शाखा समिति के नव निर्मित भवन में स्थानान्तरित की जाये। महंगाई के आधार पर कास्तकारों की ऋण सीमा को बढ़ाया जाय। कास्तकारों को आवासीय ऋण न्यूनतम ब्याज पर दिया जाये। कास्तकारों, शिक्षित बेरोजगा युवकों को बैंक की ओर से न्यूनतम दर पर ऋण दिया जाये। आपदा प्रभावित क्षेत्र होने के कारण सभी कास्तकारों को ऋण 100 प्रतिशत मुक्त किया जाय।

(ढ) श्री डूंगर सिंह नयाल, श्री प्रेमस सिंह, श्रीमती रूपा रावत प्रतिनिधि फतेहपुर साधन सहकारी समिति लि० तथा श्री राजेन्द्र सिंह रावत, प्रतिनिधि एवं संचालक नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव बैंक लि० के द्वारा अवगत कराया गया कि समिति का भवन/गोदाम जीर्ण हालत में है समिति भवन/गोदाम मरम्मत हेतु धनराशि स्वीकृत की जाये।

(ण) श्री दलीप सिंह किरौला, अध्यक्ष, बच्चीनगर किसान सेवा सहकारी समिति लि०, के द्वारा अवगत कराया गया कि मिनी बैंक में सदस्यों के 50000.00 से अधिक के चैक जमा नहीं होते हैं। यह प्रतिबन्ध हटाना चाहिए। नाबार्ड से निवेदन किया जायें स्थिति के अनुसार समिति सदस्यों की भूमि बन्धक सिस्टम लागू हो, क्योंकि कम भूमि वाले कभी भी बेचकर बाहर निकल जाते हैं, समिति को पैसा डूब रहा है। मध्यकालीन सहभागिता ऋण वितरण करने पर जानवरों पर टैग लगाने की सुविधा प्राप्त नहीं है क्योंकि बीमा कम्पनी के पास टैग नहीं हैं। अल्पकालीन ऋण की मांग अन्य बैंकों की भाँति वर्ष में एक बार लगनी चाहिए। गेहूँ बीज पर कृषि विभाग द्वारा अनुदान समितियों को भी उतना दिया जाय जितना वह स्वयं वितरण करने पर दे रहे हैं। 1.00 लाख तक के सी.डी.एल. ऋण बॉटने की स्वीकृति समितियों को दी जाये। समिति में 02 कम्प्यूटरों की आवश्यकता है। यह सुविधा बैंक से प्राप्त हो।

(त) श्री धर्मेन्द्र शर्मा, प्रतिनिधि, गौलाघाटी कृषि मसाला उत्पादन एवं विपणन सहकारी समिति लि० जमरानी के द्वारा अवगत कराया गया कि बोर्ड के सदस्यों के साथ ही बैंक से



जुड़े काश्तकारों एवं प्रतिनिधिगणों के प्रशिक्षण/भ्रमण (एक्सपोजर विजिट) की व्यवस्था बैंक के माध्यम से की जाय। बैंक से जुड़े काश्तकारों की सुविधा हेतु पशुपालन एवं दुग्ध विकास की योजनाओं का संचालन बैंक के माध्यम से किया जाये।

(थ) सचिव/अध्यक्ष, पर्वतीय बहुउद्देशीय सहकारिता लि०, कूर्माचल पूर्व सैनिक एवं नव युवक उत्थान सहकारिता लि०, पर्वतीय रेशम टस्सर उत्पादन एवं विपणन सहकारिता डेलकूना नथुवाखान, हिमदर्शन इको टूरिज्म शीतला मुक्तेश्वर एवं उत्तरांचल सूचना प्रौद्योगिकी सहकारिता लि० के द्वारा अवगत कराया गया कि समितियां नियमतः बैंक की सदस्य हैं, पिछले सामान्य निकाय की बैठक व निर्वाचन प्रक्रिया से हमारी समितियों को पृथक रखा गया है। सदस्य होने के नाते सामान्य निकाय व सामान्य निर्वाचन प्रक्रिया में प्रतिभाग करने का अवसर दिया जाय।

उक्त सुझावों पर विचार विमर्श उपरान्त सर्व सम्मति से तय किया गया कि सुझावानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाय तथा सम्बन्धित विभाग/संस्था को उक्त सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरोध करते हुए अनुपालन किया जाय।

अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिनिधियों, अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया तथा जिलाधिकारी, नैनीताल, समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों, विभागीय अधिकारियों, लेखा परीक्षकों, चाटर्ड एकाउन्टेन्ट तथा भारतीय रिजर्व बैंक एवं नाबार्ड के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया गया, जिनके द्वारा बैंक के सफल संचालन में महत्वपूर्ण सहयोग एवं मार्गदर्शन समय-समय पर प्रदान किया जाता रहा है। बैंक को सम्पन्न किये जाने हेतु इस कार्य में लगे समस्त बैंक अधिकारियों/कर्मचारियों का भी आभार व्यक्त करते हुए बैठक का समापन किया गया।

सी०के० कमल
सचिव/महाप्रबन्धक

राजेन्द्र सिंह नेगी
अध्यक्ष



विगत वर्षों की वसूली स्थिति

(कुल कृषि ऋणों पर आधारित प्रतिवर्ष 30 जून की स्थिति)

वर्ष	वर्ष की कुल मांग	वर्ष की कुल वसूली	वर्षान्त में कुल बकाया	वसूली का प्रतिशत
2000-01	6061.13	5780.83	280.30	95
2001-02	7769.46	7474.08	295.38	96
2002-03	7760.02	7178.47	481.55	94
2003-04	9870.32	9366.74	503.58	94.90
2004-05	2557.84	2080.58	177.26	92.15
2005-06	2825.04	2694.11	130.93	95.37
2006-07	3736.60	3607.41	129.19	96.54
2007-08	4351.57	3314.18	1037.39	76.16
2008-09	5072.22	4583.04	489.18	90.36
2009-10	5887.95	5455.32	432.63	92.65
2010-11	6227.68	5493.44	734.24	88.21
2011-12	7493.65	6791.80	701.85	90.63
2012-13	8640.45	8134.78	505.67	94.15
2013-14	10734.64	9947.05	787.59	92.66



**सन्तुलन पत्र 2013-14**

(एक दृष्टि में)

₹ लाखों में

31-03-2013	पूँजी तथा दायित्व	31-03-2014
570.79	अंश पूँजी	710.69
5323.17	रक्षित तथा अन्य कोष	6669.20
707.50	प्राविधान बकाया ब्याज एवं अन्य हेतु	684.51
56142.79	निक्षेप	61370.61
6793.83	बाहरी ऋण	10115.84
3595.34	अन्य दायित्व	2352.98
1594.99	वर्ष का लाभ	551.39
16.10	विगत वर्षों का शेष लाभ	23.87
74744.51	योग	82479.09
	सम्पत्ति तथा वित्त	
3378.68	नकदी एवं चालू खातों में	3265.80
44151.22	विनियोग	49377.67
22866.41	ऋण एवं अग्रिम	25584.50
4348.20	अन्य सम्पत्तियाँ	4251.12
74744.51	योग	82479.09



31 मार्च 2014 का

31-03-2013 की स्थिति	पूंजी एवं दायित्व	31-03-2014 की स्थिति	
	1- पूंजी		
56448526.00	(अ) सहकारी समितियों से	71063150.00	
625000.00	(ब) राज्य सरकार से	-	
5400.00	(स) व्यक्तिगत अंश	5400.00	71068550.00
	2- संचित कोष		
196255406.49	(क) सुरक्षित कोष	257139417.51	
83932111.28	(ख) कृषि साख स्थिरीकरण कोष	101721772.55	
52188150.00	(ग) भवन कोष	67188150.00	
21120.00	(घ) विशेष अशोध्य कोष	21120.00	
122000000.00	(ङ) अशोध्य एवं संदिग्ध कोष	128000000.00	
215000.00	(च) विनियोजन हास कोष	215000.00	
6260900.00	(छ) राष्ट्रीय सुरक्षा कोष	7760900.00	
6907303.52	(ज) जोखिम कोष	7494423.52	
2313348.76	(झ) दान कोष	2654981.76	
3000000.00	(ट) जीप कोष	5000000.00	
7250000.00	(ठ) कर्मचारी कल्याण कोष	10250000.00	
51973824.50	(ड) अन्य कोष	79473824.50	666919589.84
	3- निक्षेप तथा अन्य खाते		
	(अ) सावधि निक्षेप		
2455154143.85	(i) व्यक्तिगत	2108395343.17	
334276439.56	(ii) सहकारी संस्थाओं से	800311365.99	
	(ब) बचत निक्षेप		
2096035058.69	(i) व्यक्तिगत	2217254523.55	
647598234.42	(ii) सहकारी संस्थाओं से	765735652.29	
	(स) चल निक्षेप		
41011855.18	(i) व्यक्तिगत	223865164.83	
40203549.52	(ii) सहकारी संस्थाओं से	21499303.56	6137061353.39
	(द) याचना एवं अल्पावधि निक्षेप		
	(i) व्यक्तिगत		
	(ii) सहकारी संस्थाओं से		
	4- बैंकों व अन्य संस्थाओं से लिया गया ऋण		
	(i) राष्ट्रीयकृत बैंकों से		
595436500.00	(ii) उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक से	998578187.00	
	(क) अल्पकालीन ऋण		
500.00	(ख) मध्यकालीन ऋण (आई.आर.डी.) कृषि कार्य एवं एस.जी.एस.वाई.	500.00	
88667.00	(ग) विशेष कम्पौनेन्ट प्लान से प्राप्त	98667.00	
83856996.00	ऋण /अन्य	12906782.00	1011584136.00
6883058034.47	योग आगे ले जाया गया	7886633629.23	7886633629.23





संतुलन पत्र (बैलेन्स शीट)

31-03-2013 की स्थिति	सम्पत्ति तथा वित्त	31-03-2014 की स्थिति	
79346715.23	रोकड़ हाथ में	92884884.54	92884884.54
	चालू खाते में		
7399828.44	राज्य सहकारी बैंक में	1755543.47	
54635903.52	भारतीय स्टेट बैंक में	26659393.30	
108798307.10	राष्ट्रीय कृत बैंक में	106840845.90	
87687588.58	अन्य बैंक में	98439315.22	233695097.89
1924146559.00	सावधि खाते में राष्ट्रीयकृत बैंक में	1559909779.00	
-	सावधि खाते में जमा भारतीय स्टेट बैंक में	-	
1200202438.00	राज्य सहकारी बैंक में	1769578310.00	
749300000.00	विनियोग सावधि जमा अन्य बैंक	1156853722.00	
467447919.00	राजकीय प्रतिभूतियों में	367400620.00	
74025000.00	सहकारी संस्थाओं में अंशधन	84025000.00	4937767431.00
	ऋण तथा अग्रिम		
720410182.27	अल्पकालीन कृषि ऋण	821655833.63	
14908264.24	कैश क्रेडिट/ओवर ड्राफ्ट	10028559.23	
426910143.00	कैश क्रेडिट शुगरमिल	510747217.00	
101495954.61	कैश क्रेडिट ट्रेडर्स	108548353.41	
32350466.44	कैश क्रेडिट स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड	32709220.34	
54585641.47	अन्य अल्पकालीन ऋण	59646661.69	
	मध्यकालीन ऋण		
12042429.25	मध्यकालीन-सी-15	8629249.00	
31977479.67	मध्यकालीन सह सहभागिता	32810931.67	
4028417.20	मध्यकालीन सघन मिनी डेयरी	13426203.00	
3143954.00	मध्यकालीन सामान्य	2267218.00	
203629926.20	मध्यकालीन सी0डी0एल0 (उपभोक्ता टिकाऊ ऋण)	217366640.43	
70675973.73	मध्यकालीन वाहन ऋण	75477402.26	
4478801.00	मध्यकालीन शिक्षा ऋण	7602408.00	
21613986.38	मध्यकालीन एस.एच.जी. (स्वयं सहायता समूह)	18994988.78	
41819927.00	मध्यकालीन शुगरमिल ऋण	68054087.00	
339350703.81	भवन ऋण	363282349.21	
46273955.97	ट्रेक्टर ऋण	45092942.17	
10249017.40	हार्टीकल्चर ऋण	12010687.30	
56322377.70	वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना	54026887.50	
90373421.86	अन्य मध्यकालीन ऋण	96072181.09	2558450020.71
7039831282.07	योग आगे ले जाया गया	7822797434.14	7822797434.14



31 मार्च 2014 का

31-03-2013 की स्थिति	पूंजी एवं दायित्व	31-03-2014 की स्थिति	
6883058034.47	अग्रणीत	7886633629.23	7886633629.23
8994232.70	संग्रहणार्थ विपत्र	1503908.00	1503908.00
11917280.55	शाखाओं का समायोजन	36482252.08	36482252.08
1198000.00	विनियोजन मूल्य उतार चढ़ाव प्राविधान	1198000.00	1198000.00
23616853.00	अतिदेय ब्याज प्राविधान	23616853.00	23616853.00
2298780.00	विनियोजन हास प्राविधान	-	
39710601.28	दातव्य ब्याज	40001385.95	40001385.95
4983196.50	अन्य देनदारी पैक्स डिपो.गा.फण्ड	2085517.10	
6537424.37	देय विपत्र	3077032.37	
4270777.80	विविधा/डेबिट नोट	3301894.80	
57020.00	वितरणीय लाभांश	127053.00	
287916208.72	अन्य देनदारी	139967177.56	
8636340.00	मानक आस्तियों हेतु प्राविधान	8636340.00	
35000000.00	ग्रामीण ऋण हेतु प्राविधान	35000000.00	
4141161.70	दावा रहित अभ्यर्थन खाता	4444703.45	196639718.28
	लाभ हानि		
	वर्ष का लाभ	55138591.11	
1610449.78	अवितरित लाभ	2386581.55	57525172.66
159499040.06	पिछले वर्ष का शेष लाभ	-	-
7483445400.93	कुल योग	8249412522.70	8249412522.70

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

वी.के. गुप्ता
अनुभाग अधिकारी (लेखा)

(बी.सी. पाण्डे)
उप महाप्रबन्धक (लेखा)

(सी.के. कमल)
सचिव/महाप्रबन्धक





संतुलन पत्र (बैलेन्स शीट)

31-03-2013 की स्थिति	सम्पत्ति तथा वित्त	31-03-2014 की स्थिति	
7039831282.07	अग्रातीत	7822797434.14	7822797434.14
223674459.15	प्राप्त ब्याज राशि	190800833.34	190800833.34
8994232.70	संग्रहणार्थ विपत्र	1503908.00	1503908.00
-	शाखाओं का समायोजन	-	-
2463040.80	भूमि तथा भवन (ह्रास घटाकर)	2426543.80	2463040.80
7424633.86	फर्नीचर फिक्चर (ह्रास घटाकर)	23944361.22	7424633.86
-	अन्य सम्पत्तियां	303293.00	
1493.94	लाइब्रेरी (ह्रास घटाकर)	-	
895125.13	लेखन सामग्री	643723.32	
193764611.76	विविध देनदार	203187151.49	
836475.24	वाहन	1427102.00	
1913387.66	समितियों से प्राप्त होने वाली राशि	2123233.67	
3316559.50	मीटर सिक्क्योरिटी	124839.00	
530099.12	चैक वापसी की राशि	130099.12	207939441.60
7483445400.93	कुल योग	8249412522.70	8249412522.70

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

(श्रीमती मुन्नी देवी)

(जे.बी.एस. मेहरा)

(राजेन्द्र सिंह नेगी)

संचालक

संचालक

अध्यक्ष

Bank Auditor's Report

We have audited the accompanying Financial Statement of Nainital District Co-operative Bank Limited which comprise the Balance sheet as at 31 March 2014 Profit and Loss Account for the year then ended and other explanatory information.

We further report that:

The Balance Sheet and Profit and Loss account dealt with by this report are in agreement with the books of account and returns; Subject to reliability of the accounts information generated from the Finacle System.

In our opinion, proper books of accounts as required by law have been kept by the bank so far as appears from out examination of those books.

For Ansul Agrawal & Co.
Chartered Accountants

Date : 12-08-2014

Signature
(Ansul Agrawal) (Partner)
Membership Number : 092048
Firm Registration Number: 500112N



31 मार्च 2014 को समाप्त होने

31-03-2013 की स्थिति	व्यय	31-03-2014 की स्थिति
406257689.63	1. निक्षेप तथा ऋण पर प्रदत्त ब्याज	479944293.70
108271331.00	2. कर्मचारियों को दिया गया वेतन भत्ता व प्राविधानों में अंशदान	111312027.15
130912.00	3. संचालकों तथा स्थानीय समितियों को दिया गया मार्ग व्यय तथा भत्ता	192236.00
8475650.85	4. भवन किराया, कर बीमा, व्यय तथा विद्युत व्यय	10104942.84
406054.00	5. कानूनी शुल्क	217474.00
481975.00	6. प्रेषण शुल्क, दूर लेखों तथा दूरभाषों पर व्यय	566378.87
50000.00	7. सम्प्रेषण शुल्क	200535.00
1824157.84	8. भवन पर हास तथा भवन सुधार पर व्यय	6054076.05
969554.52	9. लेखन सामग्री एवं मुद्रण तथा विज्ञापन पर व्यय	1244268.21
-	10. नान बैंकिंग सम्पत्ति बेचने या खरीदने पर हानि	-
15184651.20	11. प्रकीर्ण व्यय	26499939.42
31907193.00	12. निधियों में हस्तांतरित/प्राविधान	-
80674374.83	13. लाभ	79790884.11
654633543.88	योग	716127055.35

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

(वी.के. गुप्ता)

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

(बी.सी. पाण्डे)

उप महाप्रबन्धक (लेखा)

(सी.के. कमल)

सचिव/महाप्रबन्धक





वर्षवार बैंक की प्रगति का विवरण

1. अंशपूँजी वर्ष 2012-13 में अंशपूँजी मु. 570.79 लाख रू. थी, जो कि बढ़कर वर्ष 2013-14 में मु. 710.69 लाख रू. हो गई। इस तरह अंशपूँजी में 139.90 लाख की वृद्धि हुई है।
2. रक्षित एवं अन्य कोष रक्षित एवं अन्य कोष वर्ष 2012-13 में मु. 5323.17 लाख रू. थे जो कि वर्ष 2013-14 में बढ़कर मु. 6669.20 लाख रू. हो गये। रक्षित एवं अन्य कोषों में मु. 1346.03 लाख की वृद्धि हुई।
3. निजी पूँजी वर्ष 2012-13 में निजी पूँजी 5893.96 लाख रू. थी जो कि वर्ष 2013-14 में बढ़कर मु. 7379.89 लाख रू. हो गयी। इस तरह निजी पूँजी में 1485.93 लाख की वृद्धि हुई।
4. कार्यशील पूँजी बैंक की कार्यशील पूँजी वर्ष 2012-13 में 74744.51 लाख रू. थी जो कि बढ़कर वर्ष 2013-14 में मु. 82479.09 लाख रू. हो गई। इस तरह कार्यशील पूँजी में मु. 7734.58 लाख की वृद्धि हुई।
5. निक्षेप बैंक निक्षेप वर्ष 2012-13 में मु. 56142.79 लाख रू. थे, जो कि वर्ष 2013-14 में मु. 61370.61 लाख रू. है। इस तरह निक्षेपों में मु. 5227.82 लाख की वृद्धि हुई है।
6. विनियोजन वर्ष 2012-13 में बैंक का कुल विनियोजन मु. 44151.22 लाख रू. था जो कि वर्ष 2013-14 में मु. 49377.67 लाख रू. है। इस तरह विनियोजन में मु. 5226.45 लाख की वृद्धि रही।
7. ऋण एवं अग्रिम वर्ष 2012-13 में बैंक के कुल ऋण एवं अग्रिम 22866.41 लाख रू. थी, जो कि वर्ष 2013-14 में बढ़कर मु. 25584.50 लाख रू. हो गयी। इस तरह बैंक के ऋण एवं अग्रिमों में मु. 2718.09 लाख की वृद्धि दर्शित है।



बैंक की प्रगति सम्बन्धी सूचनायें (संक्षिप्त में)

₹ लाखों में

विवरण	31-03-2009	31-03-2010	31-03-2011	31-03-2012	31-03-2013	31-03-2014
अंश पूँजी	296.30	308.24	523.96	531.17	570.79	710.69
रक्षित एवं अन्य कोष	3760.05	3780.82	5315.13	5315.97	5323.17	6669.20
प्राविधान	299.44	300.44	315.44	365.44	707.50	684.51
निजी पूँजी	4056.35	4089.06	5839.09	5847.14	5893.96	7379.89
निक्षेप	53803.15	63291.95	59809.23	54799.58	56142.79	61370.61
बैंक से ऋण	844.82	465.85	4324.31	6753.81	6793.83	10115.84
कार्यशील पूँजी	61364.36	71314.93	72760.77	71183.61	74744.51	82479.09
विनियोग	39370.21	47879.79	45129.89	43296.69	44151.22	49377.67
ऋण एवं अग्रिम शेष	15414.49	15612.35	18420.26	20114.08	22866.41	25584.50
एन.पी.ए. का लगे ऋण से प्रतिशत	9.02	9.52	9.17	10.79	5.58	4.52
कुल आय	5354.95	5645.18	5395.52	5804.69	6546.34	7161.27
कुल व्यय	4484.17	4911.42	4654.01	5049.23	5739.60	6363.36
शुद्ध लाभ (कराधान पूर्व)	870.78	733.76	741.51	755.46	806.74	797.91
प्रबन्धकीय व्यय का कार्यशील पूँजी से प्रतिशत	1.11	1.08	1.23	1.65	1.67	1.74
सम्प्रेक्षण	क	क	क	क	-	क
कर्मचारियों की संख्या	127	123	126	121	144	141



वार्षिक प्रतिवेदन के प्रमुख मदों की सूचना

₹ लाखों में

		31-03-2010	31-03-2011	31-03-2012	31-03-2013	31-03-2014
(क) सदस्यता	राज्य सरकार	1	1	1	1	-
	सहानुभूति कर सदस्य	51	51	51	51	51
	सहकारी समितियां	231	234	241	250	250
	योग	283	286	293	302	301
(ख) अंशपूँजी	राज्य सरकार	10.00	8.75	7.50	6.25	-
	सहानुभूति कर सदस्य	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	सहकारी समितियां	298.19	515.16	523.61	564.49	710.62
	योग	308.24	523.96	531.17	570.79	710.69
(ग) रक्षित तथा अन्य कोष	रक्षित कोष	1240.84	1962.35	1962.48	1962.55	2571.39
	अन्य कोष	2539.24	3352.78	3353.49	3360.62	4097.81
	योग	3780.82	5315.13	5315.97	5323.17	6669.20
(घ) निजी पूँजी	अंशधन	308.24	523.96	531.17	570.79	710.69
	कोष	3780.82	5315.13	5315.97	5323.17	6669.20
	योग	4089.06	5839.09	5847.14	5893.96	7379.89
(च) निक्षेप	चल निक्षेप	850.46	967.93	810.99	812.15	2453.63
	बचत निक्षेप	20941.01	25337.88	26409.93	27436.33	29829.90
	सावधि निक्षेप	41500.48	33503.42	27578.66	27894.31	29087.08
	योग	63291.95	59809.23	54799.58	56142.79	61370.61
(छ) शीर्ष बैंक व अन्य से ऋण	विवरण					
	अल्पकालीन कृषि ऋण	465.00	2331.00	4270.00	5180.00	9000.00
	मध्यकालीन कृषि ऋण	-	576.66	448.51	774.37	793.42
	अन्य से ऋण	-	1415.78	2034.47	838.58	321.43
	स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान	0.85	0.87	0.83	0.88	0.99
	योग	465.85	4324.31	6753.81	6793.83	10115.84





₹ लाखों में

		31-03-2010	31-03-2011	31-03-2012	31-03-2013	31-03-2014
(ज) वर्ष में वितरित ऋण	अल्पकालीन कृषि ऋण	4846.50	5741.20	7243.12	8839.11	12025.59
	मध्यकालीन कृषि ऋण	339.04	488.40	253.17	301.55	1076.33
	उपभोक्ता कार्यों हेतु	112.25	125.55	121.62	90.80	104.69
	उर्वरक व्यवसाय हेतु	989.50	1004.85	1294.68	1563.08	1426.19
	चीनी मिल हेतु	3229.84	3829.69	4273.67	4413.66	5359.91
	अन्य समितियों को	244.15	268.16	539.83	518.89	635.99
	व्यक्तिगत	11217.40	12680.47	9019.30	9427.07	8460.90
	योग	20948.68	24138.32	22745.39	25154.16	29089.60
(झ) 31 मार्च को लगा रहा ऋण	अल्पकालीन कृषि ऋण	3726.66	4399.16	5513.40	7204.10	8216.56
	मध्यकालीन कृषि ऋण	1058.79	1251.20	1050.38	721.26	691.44
	उपभोक्ता कार्यों हेतु	2.61	2.10	2.62	3.09	-
	उर्वरक व्यवसाय हेतु	39.79	26.61	58.93	103.34	100.29
	चीनी मिल हेतु	3131.87	3746.17	4060.81	4687.30	5788.01
	अन्य समितियों को	305.44	337.54	299.53	452.64	446.72
	व्यक्तिगत	7347.19	8657.48	9128.41	9694.68	10341.48
	योग	15612.35	18420.26	20114.08	22866.41	25584.50



एजेंडा नं०- 3

लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र एवं प्रतिवेदन पर विचार

अवगत कराना है कि वर्ष 2013-14 का आडिट प्रमाण-पत्र प्राप्त हो चुका है जोकि वार्षिक प्रतिवेदन के पृष्ठ संख्या 23 में दर्शित है। सन्तुलन पत्र में कोई अपवाद नहीं है। आडिट प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अनुपालन आख्या प्रबन्धन समिति/कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन उपरान्त विभाग को प्रेषित की जायेगी। उक्त का अनुमोदन वांछित है।

एजेंडा नं०- 4

वर्ष 2014-15 हेतु अधिकतम दायित्व की सीमा का निर्धारण

अवगत कराना है कि 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार कुल बाह्य दायित्व मु. 714.87 करोड़ रू. है। वर्ष 2014-15 में मु. 85.00 करोड़ निक्षेप एवं मु. 100.00 करोड़ बोरोईंग प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार कुल बाह्य दायित्व मु. 899.87 करोड़ रू. होने की सम्भावना है। दिनांक 31 मार्च 2014 को बैंक की निजी पूँजी मु. 79.55 करोड़ रू. है। अतः वर्ष 2014-15 हेतु अधिकतम दायित्व की सीमा निजी पूँजी के 15 गुना अर्थात् 1193.25 करोड़ रू. निर्धारित की जानी है।





एजेंडा नं. 5

लाभ वितरण प्रस्तावित वर्ष 2013-2014

- 1- वर्ष का शुद्ध लाभ (कराधान पूर्व) - 7,97,90,884.11
 2- कराधान - 2,46,52,293.00
 3- वर्ष का शुद्ध लाभ (कराधान पश्चात्) - 5,51,38,591.11

क्र.सं.	विवरण	धनराशि	क्र.सं.	विवरण	धनराशि
1	शेष शुद्ध लाभ	55138591.11	1	लाभांश 20% की दर से	
2	रक्षित कोष 25%	13784647.78	2	(अ) सहकारी संस्थाओं से अंश धनराशि जो पूरे वर्ष जमा रही रु० 56448526.00	11289707.20
3	(क) शिक्षा निधि	15000.00		(ब) जो छः माह जमा रही रु. 349724.00	34972.40
	(ख) शोध एवं विकास निधि	5000.00		(स) व्यक्तिगत सदस्यों का अंश रु. 5400.00	1080.00
4	अतिदेय ब्याज (पूर्व प्राविधान) 5041687.04		3	(द) राज्य सरकार को 20% की दर से जो पूरे वर्ष रहा	-
5	अर्जित ब्याज ऐसे सदस्य जिनसे अतिदेय हो घटायें (पूर्व प्राविधान) 270392.00			(य) जो छः माह जमा रही रु. 500000.00	50000.00
6	अर्जित कमीशन पर लाभ ऐसे उधार बिक्री पर जो अतिदेय हो घटायें		2	वितरण योग्य शेष लाभ	32344767.28
7	जोड़िये उपरोक्त 3 से 5 तक	20000.00	3	कृषि ऋण स्थिरता कोष वर्ष के वितरण योग्य लाभ का 15%	4851715.10
8	कुल रकम जो घटानी है (कालम नं० 2-7)	13804647.78	4	भवन निधि	8000000.00
9	वर्ष का वितरण योग्य लाभ (कालम नं० 1-8)	41333943.33	5	कर्मचारी भवन ऋण कोष	1000000.00
10	विगत वर्ष का अवितरित लाभ	2386581.55	6	अशोध्य एवं संदिग्ध निधि	2000000.00
			7	कर्मचारी कल्याण कोष	1000000.00
			8	लाभांश समीकरण कोष	0.00
			9	जीप फण्ड	1000000.00
			10	नेशनल डिफेन्स फण्ड	500000.00
			11	डिविडेन्ट इक्वीलाईजेशन फण्ड	500000.00
			12	चैरिटी फण्ड	200000.00
			13	बैंक डेवलपमेंट फण्ड (बैंक)	5000000.00
			14	रक्षित कोष (अतिरिक्त प्राविधान)	8000000.00
			15	अगले वर्ष हेतु शेष	293052.18
	योग (9+10)	43720524.88		योग	43720524.88



एजेंडा नं०- 6

सहकारी वर्ष 2013-14 के लिए स्वीकृति अनुमानित बजट के सापेक्ष वास्तविक आय-व्यय के अनुमोदन तथा वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के अनुमानित बजट पर विचार

₹ लाखों में

क्र. सं०	विवरण	अनुमानित 2013-14	वास्तविक 2013-14	अनुमानित 2014-15	अनुमानित 2015-16
1.	आय (क) ऋण पर ब्याज	2560.00	2481.75	2800.00	3080.00
	(ख) राजकीय प्रतिभूतियों पर	400.00	300.27	400.00	440.00
	(ग) सावधि एवं अल्प. अमानतों पर	4264.00	3991.56	4400.00	4840.00
	(घ) लाभांश हिस्सों पर	50.00	69.38	50.00	55.00
2.	कमीशन से आय	16.00	30.83	20.00	22.00
3.	राजकीय अनुदान	0.00	1.19	0.00	0.00
4.	अन्य साधनों से आय	55.00	286.29	60.00	88.00
	योग	7345.00	7161.27	7730.00	8525.00
1.	व्यय				
	ब्याज				
	(क) अमानतों पर	4000.00	4380.13	4200.00	4620.00
	(ख) प्रा. बैंक के ऋणों पर	365.00	419.31	400.00	440.00
2.	वेतन भत्ता एवं भ. नि. अंश. आदि	1300.00	1113.12	1400.00	1540.00
3.	संचालकों का मार्ग व्यय	4.00	1.92	5.00	7.50
4.	टैक्स, बीमा, किराया और विद्युत	100.00	101.05	100.00	110.00
5.	कानूनी व्यय	8.00	2.18	10.00	11.00
6.	पोस्टेज, टेलीग्राम एवं टेलीफोन	11.00	5.66	10.00	11.00
7.	आडिट फीस	3.00	2.01	3.00	3.30
8.	घिसावट एवं मरम्मत	28.00	60.54	30.00	33.00
9.	स्टेशनरी, प्रिंटिंग एवं विज्ञापन	25.00	12.44	25.00	27.50
10.	अन्य व्यय				
I.	विनि.मूल्य उतार चढ़ाव नि. सृजन	0.00		0.00	0.00
II.	जीप/कार पेट्रोल एवं मरम्मत	18.00	17.30	20.00	22.00
III.	किराये की जीपों पर/वसूली हेतु	3.00	3.33	5.00	5.50
IV.	बकाया ब्याज हेतु प्राविधान	65.00	0.00	60.00	66.00
V.	निधियों पर दिया ब्याज/हास	40.00	83.26	40.00	44.00
VI.	शाखा खोलने पर व्यय	10.00	0.00	10.00	11.00
VII.	वार्षिक सामान्य निकाय पर व्यय	10.00	15.09	20.00	22.00
VIII.	प्रचार एवं प्रसार	5.00	0.00	5.00	5.50
IX.	अतिथि सत्कार	8.00	7.50	10.00	11.00
X.	पुरस्कार/उपहार	5.00	2.53	5.00	6.50
XI.	प्रकीर्ण व्यय	85.00	95.78	90.00	99.00
XII.	सह पर्य./सचिव वेतन चन्दा	20.00	0.00	20.00	22.00
XIII.	प्रशिक्षण व गोष्ठी	5.00	4.45	5.00	8.50
XIV.	ऋण शिविर एवं सह. बैठकें	2.00	0.00	5.00	5.50
XV.	कम्प्यूटर ए0एम0सी0/सीबी0एस0	40.00	35.76	40.00	60.00
XVI.	मानक आस्तियों हेतु प्राविधान	300.00	0.00	200.00	220.00
XVII.	लाभ(कराधान पूर्व)	885.00	797.91	1012.00	1113.20
	योग	7345.00	7161.27	7730.00	8525.00





आगामी सहकारी वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के लिये प्रस्तावित कार्यकलापों के अनुमोदन पर विचार

- 1. निक्षेप संचय** वर्ष 2013-14 में बैंक के निक्षेप 61370.61 लाख रू. थे तथा आगामी वर्ष 2014-15 के लिये मु. 6000.00 लाख रू. एवं वर्ष 2015-16 के लिए मु. 7000.00 लाख रू. वृद्धि का लक्ष्य प्रस्तावित है।
- 2. ऋण व्यवसाय** आगामी वर्ष 2014-15 के लिये 300.00 करोड़ रू. तथा वर्ष 2015-16 के लिये मु. 350.00 करोड़ रू. ऋण वितरण किया जाना प्रस्तावित है। बैंक द्वारा रोजगारपरक योजनाएं जैसे शिक्षा ऋण, व्यवसायिक ऋण, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना, वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली ऋण योजना, उत्तराखण्ड सार्वभौम ऋण योजना, नेशनल हार्टीकल्चर बोर्ड द्वारा संचालित ऋण योजनाएं, सघन मिनी डेरी विकास योजना, स्वयं सहायता समूह व महिला बचत समूहों को आयवर्धक कार्यकलापों से जोड़ने के लिए वर्ष 2014-15 में मु. 200.00 करोड़ रू. तथा वर्ष 2015-16 में 225.00 करोड़ रू. का ऋण वितरण किया जाना प्रस्तावित है।
- 3. वसूली** वर्ष 2013-14 में वसूली का प्रतिशत 92.66 प्रतिशत था। आगामी वर्ष 2014-15 में वसूली का लक्ष्य 95 प्रतिशत एवं वर्ष 2015-16 में 97 प्रतिशत वसूली का लक्ष्य प्रस्तावित है।
- 4. सी.बी.एस.** बैंक की समस्त शाखाओं में सी.बी.एस. सिस्टम लागू किया जा चुका है। जिसके उपरान्त ग्राहकों को ATM सुविधा दिया जाना प्रस्तावित है।
- 5. शाखा विस्तार** वर्ष 2014-15 में गोरापड़ाव एवं नबाबी रोड, हल्द्वानी में बैंक की शाखा खोला जाना प्रस्तावित है।
- 6. भवन निर्माण एवं आधुनिकीकरण** बैंक के द्वितीय तल में लेखा कक्ष हाल का जीर्णोद्धार किया जाना प्रस्तावित है।
- 7. बैंक मुख्यालय एवं शाखाओं का आधुनिकीकरण** वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को देखते हुए बैंक मुख्यालय एवम् शाखाओं का आधुनिकीकरण किया जाना व वर्तमान परिपेक्ष्य के अनुरूप सृसज्जित तथा वातानुकूलित किया जाना प्रस्तावित है तथा सुरक्षा के दृष्टिकोण से समस्त शाखाओं में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना प्रस्तावित है।
- 8. शाखा खोलने पर विचार** गोलापार (कुंवरपुर), सुयालबाड़ी में शाखा खोला जाना प्रस्तावित है।



शाखावार विविध विवरण -

वर्ष 2013-2014

वर्ष 2013-2014 के अन्त में बैंक की 29 शाखायें अपनी सदस्य समितियों के माध्यम से कृषक सदस्यों तथा जमा कर्ताओं की सेवा कर रही हैं। 31 मार्च 2014 को शाखावार विवरण निम्न प्रकार है।


₹ लाखों में

क्र. सं.	नाम शाखा	खुलने की तिथि	वर्षान्त में निक्षेप	वर्ष में ऋण वितरण	वर्ष में ऋण वापसी	वर्ष के अन्त में लगा ऋण	वसूली का प्रतिशत	वर्ष का लाभ	वर्ष की हानि
1.	हल्द्वानी मुख्य शाखा	01.01.75	18174.70	2161.86	2121.20	1778.23	90.69	214.59	
2.	हल्द्वानी पीलीकोठी शाखा	26.12.90	6447.22	1163.94	1103.43	1054.46	100.00	70.34	
3.	हल्द्वानी नगर शाखा	27.02.86	5042.08	1694.86	1750.68	1140.07	100.00	7.92	
4.	हल्द्वानी मण्डी शाखा	22.03.84	2885.86	770.58	647.97	563.75	100.00	7.05	
5.	हल्द्वानी रेलवे बाजार शाखा	25.11.90	3068.52	1108.60	944.99	886.51	100.00	17.02	
6.	कालाढूंगी	26.11.74	2042.57	970.93	961.76	692.02	88.55	7.92	
7.	रामनगर	25.07.64	2687.05	1276.73	1174.18	962.82	92.23	2.64	
8.	भवाली	11.08.67	2023.33	669.40	670.76	555.82	97.33	10.67	
9.	गरमपानी	31.03.78	1007.91	1721.10	1363.99	1738.31	98.74	-	7.17
10.	कसियालेख	27.06.79	773.43	1057.61	1029.30	1205.25	94.33	35.80	
11.	नैनीताल	01.10.80	2083.38	841.29	598.92	805.81	86.28	21.68	
12.	रामगढ़	14.08.81	504.81	208.42	221.78	260.39	92.01	.31	
13.	कोटाबाग	14.08.81	1010.17	814.68	764.42	832.55	63.96	-	17.69
14.	चौरगलिया	19.10.81	951.54	897.11	782.05	622.65	100.00	1.27	
15.	खनस्यूं	20.10.81	800.17	505.31	447.61	530.64	100.00	-	14.62
16.	नथुवाखान	17.02.86	513.41	220.69	223.81	213.53	89.55	5.48	
17.	रामनगर सांयकालीन	24.03.83	2201.54	976.23	958.99	798.96	91.70	5.14	
18.	हल्दूचौड़	25.01.84	2851.96	635.63	667.77	491.26	82.87	23.54	
19.	पहाड़पानी	27.11.87	737.93	1033.50	915.07	811.09	100.00		12.77
20.	बेतालघाट	29.06.89	874.74	849.60	653.84	769.45	100.00		4.62
21.	बैलपड़ाव	16.04.01	894.19	787.09	729.26	539.59	93.27		17.05
22.	भीमताल	22.06.01	1113.15	1007.93	1041.72	799.53	100.00	17.56	
23.	भीमताल विस्तार पटल	15.08.05	180.93	54.87	71.59	131.09	-		7.14
24.	धारी	20.08.05	383.93	524.88	474.65	544.02	100.00		7.35
25.	पीरूमदारा	11.11.05	1309.58	585.86	587.20	446.32	82.89	21.56	
26.	टी.पी. नगर	8.10.11	323.57	91.65	105.58	92.61	-		43.41
27.	मालधन चौड़	8.10.11	165.47	437.50	398.76	295.08	92.04		17.04
28.	ढोलीगाँव	13.12.11	127.10	49.68	36.56	49.01	-		10.47
29.	कटघरिया	22.02.14	181.40	11.17	1.20	9.96	-		2.58
30.	प्रधान कार्यालय	-	8.97	5960.90	4922.45	5963.80	-	242.81	
	योग		61370.61	29089.60	26371.49	25584.50	92.66	713.30	161.91

शुद्ध लाभ - 551.39



भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ नई दिल्ली के अध्यक्ष डा० चन्द्रपाल सिंह यादव
बैंक के अध्यक्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ नई दिल्ली के गवर्निंग काउंसिल के सदस्य
श्री राजेन्द्र सिंह नेगी का साल ओढ़ाकर स्वागत करते हुए।



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा स्वीकृत लिलियम/कार्नेशन फूलों की खेती हेतु बैंक द्वारा वित्तपोजित योजना के तहत जनपद नैनीताल के पर्वतीय क्षेत्र में उत्पादित फूलों का दृश्य



राष्ट्रीय कृषि बीमा के संबंध में चर्चा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री
साथ में बैंक अध्यक्ष श्री राजेन्द्र सिंह नेगी



बैंक अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा गत वर्ष राज्य में आई प्राकृतिक आपदा के कारण आर्थिक
योगदान के दौरान प्रदेश के सहकारिता मंत्री माननीय श्री यशपाल आर्य जी
बैंक अध्यक्ष श्री राजेन्द्र सिंह नेगी एवं बैंक के अधिकारी/कर्मचारी



86वें वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर मुख्य अतिथि माननीय श्री यशपाल आर्य एवं उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री संजीव आर्य का माल्यापण कर स्वागत करते हुए बैंक अध्यक्ष श्री राजेन्द्र सिंह नेगी जी



86वीं वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक के शुभारम्भ के अवसर पर माननीय सहकारिता मंत्री जी दीप प्रज्वलित करते हुए।



86वीं वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर मान० सहकारिता मंत्री जी का साल ओढ़ाकर स्वागत करते हुए बैंक के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र सिंह नेगी।



86वीं वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक को सम्बोधित करते हुए श्री सी०के० कमल सचिव/महाप्रबन्धक एवं साथ में उपमहाप्रबन्धक मनोज कुमार एवं बी०सी० पाण्डे।



86वें वार्षिक अधिवेशन को सम्बोधित करते हुए बैंक अध्यक्ष श्री राजेन्द्र सिंह नेगी जी



86वीं वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर मंच पर आसीन विशिष्ट अतिथिगण



मा० यशपाल आर्य जी, सहकारिता मंत्री उत्तराखण्ड सरकार
86वीं वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक को सम्बोधित करते हुए



86वीं वार्षिक अधिवेशन में उपस्थित प्रतिनिधिगण



कठघरिया शाखा के उद्घाटन अवसर पर बैंक अध्यक्ष श्री राजेन्द्र सिंह नेगी जी का स्वागत करते हुए बैंक सचिव/महाप्रबन्धक श्री सी०के० कमल जी



अध्यक्ष श्री राजेन्द्र सिंह नेगी जी एवं उप निबन्धक श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत जी शाखा कठघरिया का उद्घाटन करते हुए




नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि०

प्रधान कार्यालय- हल्द्वानी

बैंक की प्रमुख योजनायें

ऋण योजना	उद्देश्य	अधिकतम ऋण	अवधि एवं अदायगी
उपभोक्ता टिकाऊ ऋण 	मध्यम आय वर्गीय वेतनभोगी व्यक्तियों को टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के लिए	5.00 लाख रू० तक व्यक्ति की आय के आधार पर	3 वर्ष से 5 वर्ष तक समान मासिक किश्तों में
वाहन ऋण (व्यावसायिक) 	लघु व्यावसायिक नये वाहनों जैसे- आटो रिक्शा, टैक्सी, कार, मिनी बस/टैक्सी के रूप में प्रयुक्त जीप आदि के लिए	20.00 लाख रू० तक नये वाहन के क्रय मूल्य का 85 प्रतिशत अधिकतम ऋण सीमा एवं पात्रता के अधीन	अधिकतम अवधि 7 वर्ष ऋण की वसूली ऋण वितरित करने की तिथि से एक माह बाद से प्रतिमाह समान मासिक किश्तों में
निजी प्रयोग हेतु वाहन ऋण 	निजी प्रयोग के लिए नये वाहन के क्रय हेतु	10.00 लाख रू० तक व्यक्ति की आय एवं प्रतिदान क्षमता के आधार पर	अधिकतम अवधि 5 वर्ष ऋण की वसूली ऋण वितरित करने की तिथि से एक माह बाद से प्रतिमाह समान मासिक किश्तों में
गृह निर्माण ऋण 	भवन निर्माण, विस्तारीकरण बना हुआ भवन या फ्लैट खरीदने के लिए	20.00 लाख रू० तक एवं भवन मरम्मत में अधिकतम 5.00 लाख रू० तक व्यक्ति की आय एवं प्रतिदान क्षमता के आधार पर	अधिकतम अवधि 20 वर्ष ऋण की वसूली समान मासिक किश्तों में
व्यावसायिक ऋण सीमा 	व्यवसायियों को आवश्यकता अनुसार कार्यशील पूंजी मद के लिए	अधिकतम 30.00 लाख रू० तक व्यवसायी की आवश्यकता, ऋण प्रतिदान क्षमता तथा व्यवसाय से होने वाले लाभ एवं निर्धारित प्रतिभूति आदि के आधार पर	एक वर्ष (वित्तीय वर्ष)
ज्ञानोत्कर्ष ऋण योजना 	वेतनभोगी व्यक्तियों को कम्प्यूटर शिक्षा हेतु कम्प्यूटर, प्रिंटर आदि के क्रय हेतु	अधिकतम रू० 40 हजार तक क्रय मूल्य का 90 प्रतिशत	अधिकतम अवधि 3 वर्ष समान मासिक किश्तों में वसूली

	ऋण योजना	उद्देश्य	अधिकतम् ऋण	अवधि एवं अदायगी
वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना		पर्यटन से सम्बन्धित अवस्थापनाओं के विकास एवं स्थानीय लोगों को स्वरोजगार प्रदान करने हेतु योजना	अधिकतम 20.00 लाख तक राज्य सरकार के निर्देशानुसार	अधिकतम अवधि 20 वर्ष समान मासिक किश्तों में अदायगी
ट्रैक्टर एवं ट्राली		स्थानीय कृषकों को ट्रैक्टर ट्राली एवं अन्य सम्बद्ध कृषि यन्त्रों को उपलब्ध कराने हेतु	अधिकतम ऋण 5.00 लाख अथवा क्रय मूल्य का 85 प्रतिशत तक जो भी कम हो	ऋण की अधिकतम अवधि 10 वर्ष तथा अदायगी मासिक/त्रैमासिक/छःमाही रूप से समान किश्तों में
उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण		तकनीकी/प्रोफेशनल पाठ्य क्रमों की शिक्षा हेतु प्रदेश सरकार/भारत सरकार/ए.आई.सी.टी.आई. द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से	अधिकतम ऋण अभिभावक की आय एवं प्रतिदान क्षमता के आधार पर कास्ट आफ स्टडी का 80% या.मु. 7.00 लाख जो भी कम हो।	अधिकतम अवधि पाँच वर्ष
बागवानी-फल, फूल सब्जी की खेती के लिए ऋण		व्यवसायिक स्तर पर फल, फूल एवं सब्जी आदि उत्पादन हेतु ऋण	अधिकतम ऋण सीमा 15.00 लाख तक योजना लागत प्रस्तावित प्रतिभूत एवं प्रतिदान क्षमता आदि के आधार पर	अधिकतम अवधि 5 वर्ष, ऋण की वसूली छःमाही वार्षिक आधार पर किश्त निर्धारित की जायेगी
स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना		दस्तकार, हथकरघा, बुनकर, हस्तशिल्पकार, मछुआरों आदि को ऋण सुविधा	अधिकतम ऋण सीमा 50 हजार एक वर्ष के लिए रिवाल्विंग कैश/क्रेडिट के रूप में	नगदी ऋण सीमा हेतु एक वर्ष
मिनी डेयरी योजना ऋण		मिनी डेयरी स्थापना हेतु ऋण सुविधा	1,20,000.00 तक ऋण दो पशु इकाई स्थापना हेतु	अधिकतम अवधि 5 वर्ष, ऋण की वसूली समान मासिक किश्तों में

सहकारिता के सिद्धान्त



सहकारिता के सिद्धान्त वह दिशानिर्देश हैं जिससे सहकारिता के मूल्यों का क्रियान्वयन होता है।

1

स्वैच्छिक एवं खुली सदस्यता

सहकारी संस्थाएं, स्वैच्छिक संस्थायें हैं। लिंगभेद, समाज, जाति, राजनीति या धर्म के पक्षपात के बिना इनकी सदस्यता हर व्यक्ति के लिए, जो इनकी सेवायें उपयोग करने एवं सदस्य की जिम्मेदारियां स्वीकार करने के इच्छुक हों, खुली हैं।



2

लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण

सहकारी संस्थाएं, लोकतांत्रिक संस्थायें हैं जो उनके सदस्यों द्वारा नियंत्रित होती हैं। सदस्य अधिनियम बनाने व निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेते हैं। चयनित प्रतिनिधि के तौर पर महिला व पुरुष सदस्यता हेतु जिम्मेदार होते हैं। प्राथमिक सहकारी संस्था में सदस्यों को समान मतदान का अधिकार होता है (एक सदस्य, एक मत) अन्य स्तर की सहकारी संस्थाएं भी लोकतांत्रिक आधार पर गठित होती हैं।



3

सदस्यों की आर्थिक भागीदारी

सहकारी संस्थाएं मूलधन में सदस्यों का योगदान एवं लोकतांत्रिक नियंत्रण होता है। कम से कम मूलधन का एक हिस्सा सहकारी संस्था की सार्वजनिक सम्पत्ति होती है। सदस्य अतिरिक्त सम्पत्ति को निम्न उद्देश्यों के लिए रखते हैं : अ सहकारिता विकास हेतु ब सदस्यों को उनके लेन-देन के अनुसार स सदस्यों द्वारा स्वीकृत अन्य गतिविधियों में सहायता हेतु।



4

स्वायत्तता एवं स्वाधीनता

सहकारी संस्थाएं, स्वायत्त एवं स्वयं सहायता संस्थायें हैं जो सदस्यों द्वारा नियंत्रित होती हैं। सरकार या किसी अन्य संस्थागत वाह्य शक्तों से मूलधन बढ़ाने हेतु नियमबद्ध होती हैं। सहकारी संस्था की स्वायत्तता एवं लोकतांत्रिक नियंत्रण को सदस्यों द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।



5

शिक्षा, प्रशिक्षण एवं जानकारी

सहकारी संस्थाएं - अपने सदस्यों, चुने हुए प्रतिनिधियों, प्रबन्धकों एवं कर्मचारियों को शिक्षा एवं प्रशिक्षण देती हैं जिससे वे सहकारिता के विकास में प्रभावी सहयोग दे सकें। यह आम जनता, विशेषकर नवयुवकों एवं नेतागणों को सहकारिता की प्रकृति एवं लाभों की जानकारी देती है।



6

सहकारी संस्थओं में आपसी सहयोग

सहकारी संस्थाएं अपने सदस्यों के लिए सर्वाधिक प्रभावी रूप से सेवा करते हैं और स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करके सहकारिता आन्दोलन को सशक्त करती हैं।



7

समुदाय से सम्बन्ध

सहकारी संस्थाएं अपने समुदाय के सतत् विकास के लिए सदस्यों द्वारा स्वीकृत नीतियों के तहत कार्य करती हैं।





नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव बैंक लि०

प्रधान कार्यालय : हल्द्वानी (नैनीताल)

दूरभाष : 220910, 220815 फैक्स : 05946- 221712

E-mail : dcbhaldwani@gmail.com

Website : ndcbank.com